[2020] 10 एस. सी. आर 433

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 2182-87)

17 मार्च, 2020

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

के लिए विचार किया जाए-आयोजितः सगाई पर सांविधिक प्रतिबंध या भारतीय नौसेना में महिलाओं का नामांकन इस हद तक हटा लिया गया था कि

दिनांक 09.10.1991 और 06.11.1998 जारी की गई अधिसूचनाओं में परिकल्पित

केंद्र सरकार द्वारा यू / धारा 9 (2), 1957 अधिनियम-पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार दिनांक 25.02.1999 के नीति पत्र से उत्पन्न होता है।

आर/डब्ल्यू विनियमन 203, अध्याय IX, भाग III, 1963 विनियम-इसके अलावा, दिनांक 26.09.2008 के नीतिगत निर्णय ने एस. एस. सी. महिलाओं को पी. सी. प्रदान किए सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी-इसमें अनुशासन इसे संभावित बनाता है और इसके आवेदन को निर्दिष्ट संवर्गों तक सीमित करता है /

भारतीय नौसेना की शाखाओं को लागू नहीं किया जाएगा-कार्यान्वयन

03.12.2008 दिनांकित दिशा-निर्देश, जिस हद तक उन्हें संभावित बनाया जाता है और निर्दिष्ट कैडरों तक सीमित किया जाता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-सभी

वर्तमान में शिक्षा, कानून और रसद संवर्ग में एस. एस. सी. अधिकारी

पीसी के अनुदान के लिए सेवा पर विचार किया जाएगा-एनी नागराजा के मामले में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) कैडर की महिला एसएससी अधिकारी नहीं

पीसी के अनुदान के लिए विचार करने का हकदार-एक बार के रूप में

ए. टी. सी. संवर्ग में एस. एस. सी. अधिकारी पेंशन के हकदार हैं लाभ-उत्तरदाता संख्या। 2 6 तक, अनुदान के अलावा

रुपये के मुआवजे के हकदार पेंशन लाभ। 25 एक-एक लाख

प्रिया खुराना के मामले में एसएससी अधिकारियों को एटीसी कैडर में शामिल किया गया

विज्ञापनों में विशिष्ट प्रतिनिधित्व का अनुसरण कि वे

पी. सी. अनुदान के लिए विचार किया जाएगा, जिस पर निर्देश के अनुसार विचार किया जाएगा-आगे के निर्देश जारी किए गए-नौसेना समारोह,

सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963 -

विनियम 122,124,126,203-भारत का संविधान-कला। 33 ,

142 - पूर्व टर्पी कारण गैर ऑरिटर एक्टियो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963-विनियम 203 (1)-पीसी का अनुदान-आयोजित कारक विनियमन 203 (1) तीन कारकों के लिए पीसी के अनुदान की शर्त लगाता हैः स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, और नौसेना प्रमुख की सिफारिश।

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963-विनियम 122 (14) और 203-तुलना

चर्चा के बीच।

महिलाओं को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाने के लिए भारत संघ द्वारा दिनांकित 09.10.1991 अधिसूचना जारी की गई थी

तीन संवर्गों/शाखाओं में। 1 जुलाई 1992 को, एस. एस. सी. में पैंतीस अधिकारियों के प्रवेश को ए. टी. सी. संवर्ग में यह निर्धारित करते हुए मंजूरी दी गई थी कि ए. टी. सी. संवर्ग में कोई पी. सी. (पुरुष और महिला दोनों के लिए) नहीं दिया जाएगा। 1998 में, सात साल के कार्यकाल की शर्त को दस साल और 2002 में चौदह साल तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 1 की अधिसूचना ने महिलाओं को सभी शाखाओं में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया। दिनांक 25.02.1999 के नीतिगत निर्णय (दिनांक 20.12.1991 के पहले के दो पत्रों का उल्लेख करते हुए) ने विनियमन 203,1963 विनियमों के अनुसार महिलाओं सहित सभी एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. प्रदान किए। इसके अलावा, एक अन्य नीतिगत निर्णय दिनांक 26.09.2008 ने सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. प्रदान किए। हालाँकि, यह कुछ श्रेणियों तक ही सीमित था और जनवरी 2009 के बाद एस. एस. सी. में शामिल भविष्य के बैचों के लिए संभावित रूप से संचालित किया गया था।

नौसेना में पी. सी. का अनुदान भी संभावित था और निर्दिष्ट संवर्गों तक ही सीमित था। एनी नागराजा के मामले में, सत्रह महिला एस. एस. सी. अधिकारियों (1992 और 2001 के बीच शामिल) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चौदह साल की सेवा पूरी करने के बावजूद पी. सी. के अनुदान के लिए विचार नहीं किए जाने को चुनौती दी। उच्च न्यायालय इंटर अन्य ने एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. की पेशकश करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पी. सी. का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था और जो रिट याचिका दायर करने के समय सेवानिवृत्त नहीं हुए थे। पुनर्स्थापना के लिए निर्देश दिया गया था

याचिकाकर्ता जो रिट याचिका दायर करने से पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे, बबीता पुनिया मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन, जो लंबित था। प्रिया खुराना के मामले में, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) ने सात एस. एस. सी. अधिकारियों द्वारा छह मूल आवेदनों (ओ. ए.) के एक समूह में अन्य बातों के साथ-साथ 26.09.2008 दिनांकित नीति पत्र को अमान्य घोषित कर दिया और निर्देश दिया

पी. सी. के अनुदान के अनुरोधों पर पुनर्विचार। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 वैधानिक और नीतिगत ढांचा

नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 9 भारतीय नौसेना में नियुक्ति या नामांकन के लिए पात्रता से संबंधित है। धारा 9 की उप-धारा (2) महिलाओं की नियुक्ति या नियुक्ति की पात्रता निर्धारित करती है।

नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में नामांकित। यह प्रावधान "कोई भी महिला पात्र नहीं होगी" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है और "ऐसे विभाग, शाखा या अन्य निकाय को छोड़कर" अभिव्यक्ति के साथ इसका अनुसरण करता है। महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के अधीन है। केंद्र सरकार को उन विभागों, शाखाओं या निकायों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है जो नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों का हिस्सा हैं या उनसे जुड़े हैं जिनमें महिलाओं को नियुक्त या नामांकित किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी निहित है

उन शर्तों को परिभाषित करने का अधिकार जिन पर नियुक्ति या नामांकन हो सकता है। [पैरा 10,11] [452-एफ; 453-सी-डी]

1.2 1957 के अधिनियम की धारा 184 में केंद्र सरकार द्वारा शासन के लिए बनाए जा रहे विनियमों पर विचार किया गया है।

धारा 185 के तहत संसद। अध्याय I का भाग III भारतीय नौसेना के विनियमों में 1963 के विनियम शामिल हैं। खंड II एस. एस. सी. में शामिल कार्यकारी शाखा के अधिकारियों से संबंधित है। विनियम 122 (1) में एस. एस. सी. प्रदान किए गए अधिकारियों के प्रवेश, प्रशिक्षण और पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा "। विनियम 122 (2) में एक शर्त है कि उम्मीदवार को "अविवाहित पुरुष" होना चाहिए। विनियमन 122 (9) के तहत, एक अधिकारी को एक वर्ष के लिए या प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, परिवीक्षा पर होना चाहिए। विनियम 122 (14) स्थायी आयोगों का प्रावधान करता है। विनियमों की धारा IV एस. एस. सी. में शामिल इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों से संबंधित है। विनियम 124 (2) में [2020] 10 एस. सी. आर. शामिल हैं।

विनियमन 122 (2) के समान एक प्रावधान जो एस. एस. सी. को केवल "अविवाहित पुरुषों" तक सीमित करता है। धारा VI में एस. एस. सी. का प्रावधान है

विद्युत शाखा। विनियम 126 (2) में "अविवाहित पुरुषों" के लिए पात्रता का समान प्रतिबंध है। विनियम 124 (14) और 126 (14) में पी. सी. के अनुदान के प्रावधान हैं। [पारस 15-18] [454 D-G; 455-B-D] 1.3 विनियमों के अध्याय IX का शीर्षक "अल्पकालिक सेवा आयोग के अधिकारियों को स्थायी कमीशन का अनुदान" है। विनियमन 203 में पीसी के अनुदान के संबंध में शर्त शामिल है। विनियमन 203 (1) तीन कारकों के लिए पीसी के अनुदान की शर्त लगाता हैः (i) स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता; (ii) उपयुक्तता पर विचार; और (iii) नौसेना प्रमुख की सिफारिश। विनियम 203 उप-लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के पद के एस. एस. सी. अधिकारियों पर लागू होता है। विनियम 122 (14) और विनियम 203 के प्रावधानों की तुलना की जा सकती है।

विनियम 122 (14) में निर्धारित किया गया है कि नौसेना में परिवीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पी. सी. के अनुदान के लिए उपयुक्त अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते रिक्तियों का अस्तित्व और उस समय वर्तमान विनियम हों। विनियम 203 उप-लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के पद के एस. एस. सी. अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता, नौसेना के स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता और नौसेना प्रमुख की सिफारिश के अधीन समय-समय पर पी. सी. के अनुदान पर विचार करने का प्रावधान करता है। विनियम 122 (14) एस. एस. सी. अधिकारियों की कार्यकारी शाखा के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। विनियम 203 उप-लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के पद के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। ए. एफ. टी. ने पाया कि विनियमन 203 उससे पहले के ओ. ए. पर लागू होगा क्योंकि आवेदकों को उप अधिकारी के पद पर एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में भर्ती किया गया था। लेफ्टिनेंट और उसके बाद उन्हें पदोन्नत किया गया। [पारस 19-21] [455-E; 456-A-E]

1.4 भारतीय नौसेना की चार शाखाएँ हैं-एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। 9 अक्टूबर 1991 को,

केंद्र सरकार ने धारा 9 (2) द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति के अनुसार एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा महिलाओं को तीन क्षेत्रों में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया।

संवर्ग/शाखाएँ जो थींः लॉजिस्टिक्स; कानून; और शिक्षा। कानून और रसद संवर्ग भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा से संबंधित हैं। उस भौतिक समय जब 1963 का भारत और ओ. आर. एस. का विनियम संघ।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

धारा 9 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और कोई महिला नहीं थी

एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में नियुक्त। नतीजतन, नियम केवल पुरुष अधिकारियों तक ही सीमित थे। यह अधिसूचना जो 9 अक्टूबर 1991 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, पाँच साल के लिए लागू होनी थी। धारा 9 (2) के तहत इस अधिसूचना के जारी होने का परिणाम यह था कि महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर प्रतिबंध हटा दिया गया था।

नौसेना के संवर्ग/शाखाएँ। एक बार धारा 9 (2) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, 1963 के विनियमों में पुरुषों को एस. एस. सी. के अनुदान को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। उन संवर्गों/शाखाओं के रूप में जहां महिलाओं के प्रवेश को अधिसूचित किया गया था। [पारस 22,23] [456-ई-एच; 457-ए-बी]

2. प्रारंभिक आपत्ति

प्रिया खुराना के मामले में भारत संघ द्वारा दायर अपील की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति का आग्रह किया गया था। यह आग्रह किया गया कि जब एस. एस. सी. महिला अधिकारियों ने ए. एफ. टी. के फैसले को चुनौती देने की मांग की, तो अपील करने की अनुमति अलग से मांगी गई और ए. एफ. टी. द्वारा इस अदालत में जाने की अनुमति दी गई। इसके कारण अधिकारियों द्वारा छह दीवानी अपील दायर की गईं। हालांकि, भारत संघ ने इससे पहले अपील दायर करने के लिए ए. एफ. टी. से अनुमति मांगी। केवल एक ओ. ए. में न्यायालय। अन्य ओ. ए. में अपील करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई। यह आग्रह किया गया कि ए. एफ. टी. छह ओ. ए. में एक सामान्य निर्णय दे। भारत संघ ने ए. एफ. टी. से उत्पन्न होने वाले मामलों में से केवल एक मामले में अपील दायर की थी, यह आग्रह किया गया था कि सामान्य निर्णय केंद्र सरकार को बाध्य करता है और अन्य पांच ओ. ए. में न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों में उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष पर तर्क दिए हैं। फिर भी इस न्यायालय को एनी नागराजा और प्रिया खुराना के मामले में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों द्वारा दायर अपीलों में 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र की वैधता और प्रभाव पर निर्णय लेना आवश्यक है। अंतिम निर्णय देने के लिए, यह न्यायालय योग्यता के आधार पर अपीलों पर विचार करने का प्रस्ताव करता है। प्रारंभिक आपत्ति में उठाए गए कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया गया है

भविष्य में एक उपयुक्त मामले में विचार किया जाता है। [पैरा 51,56] [470 ई-जी; 473-जी-एच; 474-ए] [2020] 10 एस. सी. आर.

(2015) 3 एस. सी. सी. 624: [2014] 12 एस. सी. आर. 845; भारत संघ बनाम। ब्रिगेडियर पीएस गिल (2012) 4 एससीसी 463: [2012] 2 एस. सी. आर. 571 संदर्भित है। 3.1 26 सितंबर 2008 के पॉलिसी पत्र की वैधता

संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को कानून द्वारा यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को किस हद तक प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है।

उनके बीच अनुशासन "। इस आवश्यकता के अलावा कि एक प्रतिबंध कानून द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 33 प्रतिबंध या निरसन और कर्तव्यों के उचित निर्वहन और सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता के बीच एक संबंध स्थापित करता है। धारा 9 (2) के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शुरू में 9 अक्टूबर 1991 को और उसके बाद 6 अक्टूबर 1991 को एक अधिसूचना जारी की। नवंबर 1998। 6 नवंबर 1998 की दूसरी अधिसूचना ने भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश के लिए अनुमेय क्षेत्रों का दायरा सभी चार शाखाओं- कार्यकारी, इंजीनियरिंग, विद्युत और शिक्षा में उनके प्रवेश को सक्षम करके बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर 1991 और न ही 6 नवंबर 1998 की अधिसूचनाओं में से कोई भी केवल एस. एस. सी. में महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन को प्रतिबंधित नहीं करती है। दोनों अधिसूचनाओं में कहा गया है कि महिलाएं निर्दिष्ट शाखाओं में "भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगी"। इसका परिणाम यह हुआ कि

दो अधिसूचनाएँ धारा 9 (2) में परिकल्पित प्रतिबंध को हटाने और निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं में भारतीय नौसेना में महिलाओं को अधिकारियों के रूप में शामिल करने की अनुमति देने के लिए हैं। [पारस 57,60] [474-बी-सी; 477-ए डी]

आर. विश्वन बनाम भारत संघ (1983) 3 एससीसी 401: [1983]

3 इसके बाद एस. सी. आर. 60 आया। -

लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ (1982)

3 एस. सी. सी. 140 [1983] 1 एस. सी. आर. 393-पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम। एल. डी. बालम सिंह (2002) 9 एस. सी. सी. 73: [2002] 3 एस. सी. आर. 385; मो. यूनुस खान बनाम।

स्टेट ऑफ यूपी यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

(2010) 10 एससीसी 539 [2010] 12 एस. सी. आर. 448 निर्दिष्ट

को।

3.2 धारा 9 (2) के तहत जारी 9 अक्टूबर 1991 की पहली अधिसूचना के बाद, रक्षा मंत्रालय ने 20 दिसंबर 1991 को दो अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें लगातार सेवा के नियमों और शर्तों के लिए संदर्भ प्रदान किए गए।

महिलाओं सहित एस. एस. सी. अधिकारी। पहला पत्र (संदर्भ संख्या 1110 वाला) शिक्षा शाखा में एस. एस. सी. अधिकारियों से संबंधित था। अधिसूचना के पैरा 4 में विशेष रूप से विचार किया गया था कि पीसी के अनुदान के संबंध में नीति 1997 में लागू की जाएगी। दूसरा पत्र (संदर्भ संख्या 1111) कानून और रसद संवर्ग में एस. एस. सी. अधिकारियों से संबंधित था और शर्तों को अपनाया गया था।

पहले के पत्र की, उसमें निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर। चूंकि पी. सी. के अनुदान के संबंध में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी

दूसरा पत्र, पहली अधिसूचना (संदर्भ संख्या 1110) के पैरा 4 में दी गई शर्त कानून और रसद संवर्ग में शामिल एस. एस. सी. अधिकारियों पर लागू होती है। इसलिए 20 दिसंबर 1991 से, यह केंद्र सरकार के विचार के भीतर था कि पीसी पर महिलाओं सहित एसएससी अधिकारियों को शामिल करने की नीति को छह साल की अवधि के भीतर अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन अधिकारियों को एस. एस. सी. में शामिल किया गया था, उनका कार्यकाल सात साल का होगा। इसलिए 1991 में अधिसूचित अल्पकालिक सेवा अवधि की समाप्ति से पहले या उसके आसपास पीसी के अनुदान के लिए नीति को अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई थी। सात साल के कार्यकाल की शर्त को बाद में 1998 में दस साल और 2002 में चौदह साल तक बढ़ा दिया गया था। [पारस 61,62] [477-डी-एच; 478-ए]

3.3 25 फरवरी 1999 का नीतिगत संचार अग्रिम प्रकृति का नहीं था। संचार में जो कहा गया था वह यह था कि एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान निम्नलिखित के संदर्भ में होगाः

विनियम 203। इसमें एस. एस. सी. में सेवारत पुरुष और महिला दोनों अधिकारी शामिल होंगे। विनियमन 203 के अनुसार "स्थायी आयोग के अनुदान के लिए नीति होगी" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि नीति अभी तक तैयार नहीं की गई थी या भविष्य की तारीख तक जब तक कोई नीति अधिसूचित नहीं की जाएगी, तब तक पी. सी. के अनुदान के लिए विचार करने की कोई पात्रता नहीं थी। 25 फरवरी 1999 के नीति दस्तावेज का आयात विनियमन 203 के अनुसार महिलाओं सहित सभी एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान लाना था। [2020] 10 एस. सी. आर. के विकास का क्रम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 अक्टूबर 1991 की नीति स्पष्ट रूप से एस. एस. सी. अधिकारियों (पुरुष और महिला दोनों) की ओर से विनियमन 203 के प्रावधानों द्वारा शासित होने की एक वैध अपेक्षा को इंगित करती है।

भारतीय नौसेना में निर्धारित शाखाओं में अधिकारियों के रूप में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देकर धारा 9 (2) के तहत अपनी सक्षम करने की शक्ति का प्रयोग करने पर वैधानिक रोक। एक बार वैधानिक प्रतिबंध हट जाने के बाद, एस. एस. सी. अधिकारियों, पीसी पर पुरुषों और महिलाओं दोनों की नियुक्ति विनियमन 203 के प्रावधानों द्वारा समान रूप से नियंत्रित की जाएगी। यह 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया था जो कानूनी व्यवस्था के अनुपालन में जारी किया गया था। एस. एस. सी. पुरुष और महिला अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान विनियमन 203 के प्रावधानों के साथ संरेखित है जो स्पष्ट रूप से कानून का विषय है। इस प्रकार, यह तर्क कि 25 फरवरी 1999 का संचार केवल अग्रिम प्रकृति का था और यह अधिकार पीसी के अनुदान के लिए विचार किए जाने पर एक और नीति का इंतजार करना होगा, जो 26 सितंबर 2008 को अस्तित्व में आई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के 25 फरवरी 1999 के पत्र में राष्ट्रपति की मंजूरी थी और परिणामस्वरूप इन कार्यवाहियों में भारत संघ द्वारा आग्रह किए गए तर्कों में सुझाए गए सुझावों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उपरोक्त के अलावा

प्रिया खुराना के मामले में, जो 2002 बैच की महिला अधिकारियों से संबंधित था, अधिकारियों द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें एटीसी और लॉजिस्टिक्स कैडर और शिक्षा शाखा में एसएससी अधिकारियों के रूप में शामिल होने के लिए पुरुषों और महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि उनके प्रदर्शन और सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर, भारत और ओआरएस के संघ के योग्य हैं।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

फरवरी 1999। यह इस सरल कारण से एक सचेत प्रस्थान नहीं हो सकता था कि पहले की नीति का मूल्यांकन नहीं किया गया था और न ही इससे अलग होने को सही ठहराने के लिए कोई आधार तैयार किया गया था। ए. एफ. टी. के उपरोक्त निष्कर्षों का विरोध करते हुए भारत संघ की ओर से कोई निवेदन नहीं किया गया था। 1963 के विनियमों में एस. एस. सी. के अनुदान के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं और पी. सी. का अनुदान। विनियम 122,124 और 126 एसएससी के अनुदान को नियंत्रित करते हैं, जबकि विनियम 203 पीसी के अनुदान को नियंत्रित करता है। विनियमन 203, अपनी शर्तों में, केवल पुरुष अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। एक बार जब भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की वैधानिक अधिसूचनाओं के संदर्भ में दी गई, तो वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया।

धारा 9 (2) के तहत हटा दिया गया और एस. एस. सी. में शामिल महिला अधिकारी विनियमन 203 द्वारा शासित होने की हकदार होंगी। इसलिए,

26 सितंबर 2008 का नीति पत्र इस हद तक कि यह पीसी के अनुदान को निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं के साथ-साथ केवल महिला अधिकारियों को "शामिल करने" के लिए प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की अधिसूचनाओं के विपरीत है और इसे लागू नहीं किया जाएगा। 26 सितंबर 2008 का नीति पत्र 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की वैधानिक अधिसूचनाओं के स्थान पर नहीं था। उच्चतम स्तर पर इसे [2020] 10 एस. सी. आर. को लागू करने के प्रशासनिक निर्णय के रूप में माना जा सकता है।

वैधानिक अधिसूचनाएँ। इसलिए, इसे चरित्र में संभावित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके विपरीत कोई अन्य दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 9 (2) का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था, वह अपनी तार्किक स्थिरता में निर्विवाद है और 1957 के अधिनियम, 1963 के विनियमों और 1963 के विनियमों द्वारा परिकल्पित कानूनी व्यवस्था के अनुरूप है।

अधिसूचनाएँ 9 अक्टूबर 1991,6 नवंबर 1998 और 25 फरवरी 1999 को जारी की गईं। [पैरा 67] [479-जी-एच; 480-ए, ई-एच; 481-ए-डी]

4.1 रूढ़िवादी नाविक

लैंगिक समानता के लिए लड़ाई का सामना करना है

मन की लड़ाई। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहां महिलाओं को कानून के तहत उनके न्यायसंगत अधिकारों और कार्यस्थल में निष्पक्ष और समान व्यवहार के अधिकार से वंचित किया गया है। सशस्त्र बलों के संदर्भ में, विशिष्ट कारणों को आगे बढ़ाया गया है निर्णय निर्माता और प्रशासक। इनमें शरीर विज्ञान, मातृत्व और शारीरिक विशेषताओं से लेकर पुरुष प्रधानता तक शामिल हैं।

सेवा में चलना। समुद्र या रूसी जहाजों में कर्तव्यों के आधार पर कथित स्पष्टीकरण (जो भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए जाते हैं, नाविकों के रूप में महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उन्हें समायोजित करने के लिए कोई बाथरूम नहीं है) एक ऐसी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अपनाए गए उपकरण हैं जो उचित निर्वहन के लिए उपयुक्त नहीं है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच कर्तव्य और अनुशासन बनाए रखना। ए. एस. जी. द्वारा की गई ये दलीलें रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना प्रमुख को 25 फरवरी 1999 को जारी किए गए नीतिगत पत्र के स्पष्ट रूप से विपरीत हैं। नीति पत्र में जोर देकर कहा गया है कि सभी शाखाओं/संवर्गों की महिला अधिकारियों को सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण और बाद के रोजगार दोनों के दौरान जहाज पर सेवा करने का निर्देश दिया जा सकता है। इस संवाद के बावजूद, इस बात को स्वीकार करना असंभव है कि महिलाएं पुरुष नाविकों के साथ नौकायन नहीं कर सकती हैं। [पारस 68,73] [481-ई-जी; 483-एफ-एच] भारत और ओआरएस का संघ।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

4.2 25 फरवरी 1999 के नीतिगत पत्र के अलावा, यह तर्क कि समुद्र में जाने वाले कुछ कर्तव्य महिला अधिकारियों के लिए अनुपयुक्त हैं, लिंग रूढ़िवादिता पर आधारित है कि पुरुष

अधिकारी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कुछ कर्तव्यों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक ताकत और कमजोरियों पर आधारित तर्कों में महिला अधिकारियों को समान अवसर से वंचित करने के लिए संवैधानिक रूप से वैध आधार नहीं है। अभिलेख के एक हिस्से के रूप में दस्तावेजों के संकलन में, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को दिए गए पुरस्कारों के दस्तावेजी प्रमाण हैं।

कार्यस्थल पर प्रदर्शन और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रचलित लैंगिक रूढ़िवादिताओं के लिए निश्चित उत्तर हैं। सेवारत महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना में पीसी पर पुरुषों के बराबर काम करने के अवसर से वंचित करना स्पष्ट है

भेदभावपूर्ण। [पारस 74-76] [484-A-C, H; 485-A]

5.1 पूर्व तुर्पी कारण गैर-मौखिक कार्य संघ द्वारा दायर अपील के लंबित रहने के दौरान

एनी नागराजा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न भारत में, इस न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2015 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें नोटिस जारी किया गया था, जिसके द्वारा (i) उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से जो 26 सितंबर 2008 को नौसेना में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में सेवारत थे, उन्हें लागू नियमों और शर्तों पर जारी रहने की अनुमति दी गई थी; और (ii) जिन्हें एस. एस. सी. कार्यकाल पूरा होने पर 26 सितंबर 2008 के बाद सेवा से रिहा कर दिया गया था, उन्हें फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उस क्षमता में और सेवा में बने रहना। इस आदेश द्वारा, सुरक्षा केवल उन अधिकारियों तक सीमित थी जो इस न्यायालय के समक्ष 26 सितंबर 2008 को सेवा में थे। उत्तरदाता संख्या 2 से 6 को 13 जुलाई 1992 और 12 अगस्त 1994 के बीच एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और वे नौसेना में महिला अधिकारियों के पहले बैच में से थे। उन्हें 12 जुलाई 2006 और 11 अगस्त 2008 के बीच सेवा से रिहा कर दिया गया था। इन अधिकारियों को 26 सितंबर 2008 को नीति पत्र जारी होने से पहले रिहा कर दिया गया था। नतीजतन, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं दिया गया। प्रिया में ए. एफ. टी. के फैसले से उत्पन्न अपीलों में

खुराना के मामले में, इस अदालत द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें एस. एस. सी. [2020] 10 एस. सी. आर. की सेवा जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

अगले आदेश तक उस क्षमता में महिला अधिकारी। [पारस 79,80 और 83] [485-एच; 486-ए-डी; 487-डी]

5.2 वर्तमान स्थिति एक स्पष्ट परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई है

नौसेना अधिकारियों की कार्रवाइयों में सेः (i) धारा 9 (2) दिनांक 9 के तहत वैधानिक अधिसूचनाओं को लागू करने में विफलता। अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998; (ii) 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र का पालन करने में विफलता; और (iii) दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों को लागू करने के दायित्व का उल्लंघन, जिन पर रोक नहीं लगाई गई थी और जिसके परिणामस्वरूप एस. एस. सी. महिला अधिकारियों के लिए गतिरोध पैदा हो गया है। एक बार जब केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय को 25 फरवरी 1999 को सूचित किया गया, तो अधिकारी विनियमन 203 के संदर्भ में पी. सी. के अनुदान के लिए एस. एस. सी. अधिकारियों के दावों पर विचार करने के लिए बाध्य थे। नौसेना अधिकारी और केंद्र सरकार ऐसा करने में विफल रहे, जिससे उन्हें विचार किए जाने वाले अधिकार से वंचित कर दिया गया।

पीसी का अनुदान। 25 के नीतिगत संचार के संदर्भ में पीसी के लिए एसएससी अधिकारियों पर विचार करने में अधिकारियों की विफलता से

फरवरी 1999 में, एस. एस. सी. अधिकारियों ने पी. सी. और पी. सी. के अनुदान से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों और लाभों को प्रदान करने का अवसर खो दिया, जिसमें पदोन्नति और पेंशन योग्य सेवा शामिल थी। एस. एस. सी. अधिकारियों को पर्याप्त राहत देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां बाध्यकारी कानूनी मानदंडों का पालन करने के लिए अधिकारियों की ओर से कर्तव्य का उल्लंघन बिना किसी ध्यान के किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए न्याय की गंभीर विफलता होगी जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और कानून में अस्थिर हैं। एनी नागराजा के मामले में दूसरे से छठे प्रतिवादी 26 सितंबर 2008 को नीति पत्र जारी होने से पहले चौदह साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे। इन अधिकारियों में से तीन अधिकारी रसद संवर्ग से हैं, एक अधिकारी शिक्षा शाखा से है और एक अधिकारी एटीसी संवर्ग से है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे से छठे उत्तरदाताओं की बहाली के लिए निर्देश जारी किए थे। इस न्यायालय के 20 नवंबर 2015 के अंतरिम आदेश के आधार पर, सुरक्षा केवल उन एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को दी गई थी जो 26 नवंबर 2008 को सेवा में थीं। इस कट-ऑफ तिथि को स्पष्ट रूप से अपनाया गया था

26 सितंबर 2008 के नीतिगत संचार का संदर्भ। इस न्यायालय का अंतरिम आदेश 26 सितंबर 2008 की नीति पर आधारित था, जिसमें पी. सी. के अनुदान की परिकल्पना की गई थी।

भविष्य में "शामिल किए जाने वाले" अधिकारियों के लिए संभावित आधार।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

26 सितंबर 2008 की नीति के संभावित अनुप्रयोग को अमान्य माना गया है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि

इस न्यायालय द्वारा पारित एक प्रतिबंधित अंतरिम आदेश कि उपरोक्त पाँच प्रतिवादियों को अपीलों के लंबित रहने के दौरान बहाल नहीं किया गया था। जहाँ ऐसी स्थिति जो अधिकारों को हानिकारक रूप से प्रभावित करती है।

1957 के अधिनियम की धारा 9 (2); (ii) रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय द्वारा और उसके परिणामस्वरूप। दिनांक 25 फरवरी 1999 को, पीसी के अनुदान के संबंध में महिलाओं सहित एसएससी अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें 1963 के विनियमों के विनियमन 203, अध्याय IX, भाग III द्वारा शासित होती हैं; (iii) 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र में दी गई शर्त इसे संभावित बनाती है और इसके प्रावधानों को सीमित करती है।

भारतीय नौसेना के निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं में आवेदन को लागू नहीं किया जाएगा; (iv) 3 दिसंबर 2008 के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के प्रावधान, इस हद तक कि उन्हें संभावित बनाया गया है और निर्दिष्ट संवर्गों तक सीमित किया गया है, रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है; (v) शिक्षा, कानून और रसद संवर्ग में सभी एस. एस. सी. अधिकारी जो वर्तमान में सेवा में हैं, उन्हें पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा। पीसी के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र से उत्पन्न होता है जिसे 1963 के अध्याय IX भाग III के विनियमन 203 के साथ पढ़ा जाता है। नियम। उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के समक्ष मामलों के समूह में एस. एस. सी. महिला अधिकारी, जो वर्तमान में सेवा में हैं,

रिक्ति पद के आधार पर पीसी के अनुदान के लिए विचार किया गया

दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों की तारीख या जैसा कि वर्तमान में है, इनमें से जो भी अधिक हो; (vi) सेवा की वह अवधि जिसके बाद महिला एस. एस. सी. अधिकारी पी. सी. के अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की हकदार होंगी, उनके पुरुष समकक्षों के समान होगी; (vii) पी. सी. के अनुदान के लिए सेवारत अधिकारियों के आवेदनों पर विनियमन 203 में निहित मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्: [2020] 10 एस. सी. आर. में रिक्तियों की उपलब्धता।

भौतिक समय पर स्थिर संवर्ग; उपयुक्तता का निर्धारण; और नौसेना प्रमुख की सिफारिश।

उनका सूचीकरण रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, विचाराधीन अधिकारियों के ए. सी. आर. पर मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर होगा; (viii) एस. एस. सी. अधिकारी जो पी. सी. के अनुदान के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, वे वेतन, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे। (ix) एनी नागराजा के मामले में एटीसी संवर्ग की महिला एसएससी अधिकारी पीसी के अनुदान के लिए विचार करने की हकदार नहीं हैं क्योंकि न तो पुरुष और न ही महिला एसएससी अधिकारियों को पीसी के अनुदान के लिए माना जाता है और पुरुष अधिकारियों को पीसी में सीधे शामिल नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि एक बार के उपाय के रूप में, एनी नागराजा के मामले में एटीसी संवर्ग में एसएससी अधिकारी निम्नलिखित के हकदार होंगेः

जिन विज्ञापनों के अनुसार उन्हें शामिल किया गया था, उनमें निहित प्रतिनिधित्व पर उपरोक्त निर्देशों (v) और (vi) के अनुसार पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा; (x) सभी एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. के अनुदान के लिए विचार से वंचित कर दिया गया था। इस आधार पर कि उन्हें 26 सितंबर 2008 के पत्र के जारी होने से पहले शामिल किया गया था और जो वर्तमान में सेवा में नहीं हैं, एक बार के उपाय के रूप में, माना जाएगा कि उन्होंने पर्याप्त पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है। उनके पेंशन लाभों की गणना की जाएगी और इसी आधार पर उन्हें जारी किया जाएगा। सेवा से मुक्त होने के बाद की अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया देय नहीं होगा; (xi) एक बार के उपाय के रूप में, सभी एस. एस. सी. महिला अधिकारी जो उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के समक्ष थीं, जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया है।

यह समझा जाएगा कि उसने पेंशन के अनुदान के लिए पर्याप्त योग्यता सेवा पूरी कर ली है और वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा; और (xii) 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30791-96 से उत्पन्न सिविल अपीलों में दो से छह उत्तरदाता, एक बार के उपाय के रूप में पेंशन लाभों के अनुदान के अलावा, प्रत्येक 25 लाख के मुआवजे के हकदार होंगे। अनुच्छेद 50 के उप-पैरा (ए) में जारी किया गया स्पष्टीकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है। [पारस 96,97] [494-डी-एच; 495-ए-एच; 496-ए-ई]

सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम। बबीता पुनिया 2020 (3) स्केल 712: (2020) 7 एस. सी. सी. 469-पर निर्भर।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 7 एस. सी. सी. 469

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

[2014] 12 एससीआर 845

पैरा 51

संदर्भित किया गया है

[2012] 2 एससीआर 571

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[1983] 1 एससीआर 393

उस पर भरोसा करें

पैरा 58

[1983] 3 एससीआर 60

पीछा किया।

पैरा 59

[2002] 3 एससीआर 385

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

[2010] 12 एससीआर 448

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 2182

2187 2020 से।

उच्च न्यायालय के 04.09.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में लिखित याचिका (सी) सं। 7336 2010 का 7056,5714,2012 का 7419,2013 का 6818,2014 का 7727।

के साथ

सिविल अपील सं। 10225-10230 2016 का 3359,2017 का 5392

2019,2181,2177 , 2178 , 2179 2020 से।

तुषार मेहता, एसजी, संजय जैन, एएसजी, आर. बालासुब्रमण्यम,

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, पी. एस. नरसिम्हा, सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री नीला गोखले, सुश्री सानिया स्कॉट, युवराज शर्मा, पद्मेश मिश्रा, अर्काज कुमार, आश्रय बेहुरा, सुश्री श्रद्धा अग्रवाल, सुश्री श्रुति दीक्षित, इलाम परिदी, चित्रांगदा राष्ट्रवारा, सुश्री कीर्ति खंगारोत, सुश्री उर्जास्वी

गोस्वामी, सेलेस्ट अग्रवाल, नितिन पावुलुरी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., सुश्री कांति, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री जी. उशारी, विष्णु तुलसी मेनन, मो. अली, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू (संतोष कृष्णन के लिए), सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, अरविंद कुमार शर्मा, हरीश पांडे, मुकेश कुमार मरोरिया, सुधांशु शेखर पांडे, गाइचांगपोउ गंगमेई, अभिषेक आर. शुक्ला, अर्जुन डी. सिंह, अनंत विजय पल्ली, सुश्री गरिमा सचदेवा, निखिल पल्ली, दीपक गोयल, अनिल कुमार बख्शी, सुश्री मीनाक्षी लेखी, हरीश पांडे, जितेंद्र के. त्रिपाठी, आलोक के. पांडे, संचार आनंद, अनंत के. वात्स्या, देवेंद्र सिंह, दीपक गोयल, विवेक नारायण शर्मा, जसदीप सिंह, प्रज्ञान मिश्रा, शुभम अवस्थी, आकाश शर्मा, राजीव कुमार झा, सुश्री सुमन रानी, संतोष कृष्णन, बी. वी. बलराम दास, सुश्री पूजा धर, सुश्री हरिप्रिया [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पद्मनाभन, सुरतांजय भारद्वाज, विशाल सिन्हा, सुश्री सुनीता ओझा, मयंक त्रिपाठी, सुश्री मोनिशा हांडा, मोहित डी. राम, सचिन कौशल, सुश्री लिज़ मैथ्यू, नवनीत आर., सुश्री सोनाली जैन, अनुपम रैना, मनिंदर जीत सिंह, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री बेंदु सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सूचकांक विवाद की पृष्ठभूमि

ए. 1 एनी नागराजा का मामला

ए. 2 प्रिया खुराना का मामला

जी पूर्व तुर्पी कारण गैर-मौखिक कार्य एच दिशाएँ

विवाद की पृष्ठभूमि

1. दीवानी अपीलों का वर्तमान बैच दो फैसलों से निर्णय के लिए आता है, पहला समय के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का और दूसरा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का है।

ए. 1 एनी नागराजा का मामला

इनमें से कई महिला अधिकारी थीं जो भारतीय नौसेना में अल्पकालिक सेवा के रूप में शामिल हुईं और 2 अधिकारी रसद और वायु यातायात नियंत्रक 3 संवर्गों और शिक्षा शाखा में नियुक्त हुईं। उनमें से छह अधिकारी थे। 1 “ ए. एफ. टी. "2" एस. एस. सी. 3 "ए. टी. सी." भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

लॉजिस्टिक्स कैडर में, शिक्षा शाखा में नौ और एटीसी कैडर में दो। उनकी शिकायत यह है कि एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में चौदह साल की सेवा पूरी करने के बावजूद, उन्हें स्थायी आयोगों के अनुदान के लिए विचार नहीं किया गया और उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष जो मामला स्थापित किया गया था, वह यह था कि भारतीय सेना और वायु सेना की महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को बबीता पुनिया बनाम भारत संघ 3 ("बबीता पुनिया") मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा पी. सी. प्रदान किया गया था। वायु सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया। भारतीय सेना बबीता पुनिया मामले में फैसले के खिलाफ इस अदालत में अपील कर रही थी।

सशस्त्र बलों की तीन शाखाएँ। हालाँकि, यह प्रस्ताव कुछ श्रेणियों तक ही सीमित था और जनवरी 2009 के बाद एस. एस. सी. में शामिल भविष्य के बैचों के लाभ के लिए संभावित रूप से काम करना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि रिट याचिकाओं में महिलाओं को युद्ध भूमिकाओं से वंचित करने का मुद्दा नहीं था। 4 सितंबर 2015 के अपने फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

" 50. ए) संचालन के क्षेत्रों में अवशोषण का दावा खुला नहीं है

महिला अधिकारियों की भर्ती को एक नीति के रूप में बनाए नहीं रखा जा सकता है

निर्णय लें।

ख) नौसेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी जिन्होंने पी. सी. का विकल्प चुना था और जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें एस. एस. सी. का विस्तार दिया गया था और वे इन रिट याचिकाओं को दाखिल करने के समय सेवानिवृत्त नहीं हुए थे और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे।

वर्तमान याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर पीसी। वे पदोन्नति जैसे सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।

और उनकी चिकित्सा योग्यता के अधीन अन्य वित्तीय लाभ।

तथापि, पी. सी. के पद पर उनकी नियुक्ति उक्त एस. एल. पी. अर्थात सी. सी. सं. 10437/2010 शीर्षक सचिव के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। रक्षा मंत्रालय बनाम। बबीता पुनिया और अन्र। लंबित है

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार;

4 " पीसी "5 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 1597,12 मार्च 2010 को दी गई 6" एमओडी "[2020] 10 एस. सी. आर.

ग) उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में जिन्होंने रिट याचिका दायर करने से पहले सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी -

निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता हैः

1. प्रतिवादी इन याचिकाकर्ताओं को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनके संबंधित पदों पर बहाल करेंगे।

2. इस तरह की बहाली उक्त एस. एल. पी. अर्थात सी. सी. सं. 10437/2010 शीर्षक एस. सी. आर. के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। मंत्रालय

डिफेंस बनाम बबीता पुनिया और अन्न। विचाराधीन

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष;

3. याचिकाकर्ता किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं;

4. याचिकाकर्ताओं की बहाली उनके अधीन होगी

मेडिकल फिटनेस "।

पीसी की पेशकश के संबंध में निर्देश उस निर्णय के अधीन किया गया था जो अंततः इस न्यायालय से सामने आएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में पहली याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कमांडर एनी थीं नागराजा। इसलिए, मामलों के उस समूह में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को, प्रस्तुतियों के दौरान, एनी नागराज बनाम भारत संघ ("एनी नागराज का निर्णय") में निर्णय के रूप में जोड़ा गया है।

मामला ")। एनी नागराजा में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न अपीलों में, इस न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2015 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया थाः

" इस न्यायालय के आगे के आदेशों को लंबित रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि ऐसे उत्तरदाता (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं) जो इस रूप में कार्य कर रहे थे

नौसेना में अल्पकालिक सेवा में नियुक्त अधिकारी

उच्च न्यायालय के समक्ष) जिसे 26 सितंबर 2008 के बाद सेवा से मुक्त किया गया हो, अल्पकालिक सेवा आयोग का कार्यकाल पूरा होने पर, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में वापस शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उस में सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। क्षमता "।

7 भारत और ओ. आर. एस. संघ की 2010 की लिखित याचिका (सी) संख्या 7336।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस आदेश द्वारा, 26 सितंबर 2008 को सुरक्षा केवल उन महिला अधिकारियों तक ही सीमित थी जो सेवा में थीं।

ए. 2 प्रिया खुराना का मामला

6. कार्यवाहियों का दूसरा समूह जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष अपील की गई है, प्राचार्य में ए. एफ. टी. के निर्णय से उत्पन्न होता है।

छह मूल आवेदनों के एक समूह में नई दिल्ली में पीठ। 8 लीड ओरिजिनल एप्लीकेशन की स्थापना कमांडर प्रिया खुराना ने की थी। द. ए. एफ. टी. के समक्ष मामलों के इस समूह में आवेदक 2002 में भारतीय नौसेना में रसद और ए. टी. सी. संवर्गों और शिक्षा शाखा में भर्ती किए गए सात एस. एस. सी. अधिकारी थे। उन्होंने पीसी के अनुदान की मांग की और चुनौती दी

26 सितंबर 2008 का नीति दस्तावेज इस हद तक असंवैधानिक है कि यह संभावित रूप से संचालित होता है और कुछ कैडरों/शाखाओं को पी. सी. के अनुदान को प्रतिबंधित करता है। नतीजतन, 3 दिसंबर 2008 को जारी किए गए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को भी चुनौती दी गई थी।

रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय। अधिकारियों ने एस. एस. सी. का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी सेवा से रिहाई को चुनौती दी।

सगाई।

7. ए. एफ. टी. ने 11 अगस्त 2016 के एक फैसले से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 25 फरवरी 1999 को रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार नौसेना के अध्याय IX के विनियमन 203 के संदर्भ में पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों को पीसी देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया था

समारोह, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963 1 0, जो विनियमों के भाग III में निहित है। ए. एफ. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि 25 फरवरी 1999 के नीतिगत निर्णय को लागू किया गया था और 26 सितंबर 2008 के बाद के नीतिगत निर्णय को पहले के नीतिगत निर्णय पर विचार किए बिना लिया गया था और वास्तव में, केंद्रीय रक्षा मंत्री को भी पहले के निर्णय के बारे में अंधेरे में रखा गया था। जबकि ए. एफ. टी. ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कि यह सरकार के लिए पहले के नीतिगत निर्णय की समीक्षा करने और उसे बदलने के लिए खुला है, यह अभिनिर्धारित किया कि परिवर्तन शक्ति के उचित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। पी. सी. के अनुदान को केवल संभावित बनाने और इसे निर्धारित शाखाओं तक सीमित रखने के बाद के निर्णय को अमान्य माना गया। ए. एफ. टी. ने इस तथ्य पर काफी हद तक भरोसा किया है कि जिन विज्ञापनों के आधार पर एस. एस. सी. अधिकारियों को शामिल किया गया था, उनमें एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व था कि पीसी के अनुदान के लिए अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।

8 " सीए " 9 " 2016 का ओ. ए. सं. 143 "

10 " 1963 विनियम "[2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. ए. एफ. टी. ने तदनुसार विनियमन 203 और 25 फरवरी 1999 के नीतिगत निर्णय के आधार पर पी. सी. के अनुदान के अनुरोध पर छह महीने के भीतर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इस अभ्यास तक

ऐसा करते हुए, आवेदकों को मौजूदा नियमों और शर्तों पर एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया। ए. एफ. टी. का निर्णय एनी नागराजा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के बाद आया था।

9. ए. एफ. टी. के फैसले पर केंद्र सरकार ने हमला किया है। ए. एफ. टी. के समक्ष आवेदक इस हद तक अपील कर रहे हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यापक राहत को ए. एफ. टी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ए. एफ. टी. से पहले स्थापित ओ. ए. में पहली आवेदक कमांडर प्रिया खुराना थीं। इसलिए, मामलों के इस समूह में ए. एफ. टी. के निर्णय को, प्रस्तुतियों के दौरान, प्रिया खुराना बनाम भारत संघ में निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया है। (" प्रिया खुराना का मामला ")। प्रिया खुराना में ए. एफ. टी. के फैसले से उत्पन्न अपीलों में, इस अदालत द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें अगले आदेश तक एस. एस. सी. अधिकारियों की सेवा में बने रहने का निर्देश दिया गया था।

B सांविधिक और नीतिगत ढांचा

10. नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 9 भारतीय नौसेना में नियुक्ति या नामांकन के लिए पात्रता से संबंधित है। धारा 9 इस प्रकार है:

" 9. नियुक्ति या नामांकन के लिए पात्रता। — (1) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में नियुक्ति या नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। केंद्र सरकार की सहमति से:

11 " 1957 एक्ट "यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस"। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में नियुक्ति या नामांकन के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराएगी कि वह नेपाल का विषय है। (2) भारतीय
नौसेना या भारतीय नौसेना रिजर्व बलों में नियुक्ति या नामांकन के लिए कोई भी महिला पात्र नहीं होगी, सिवाय ऐसे विभाग, शाखा या अन्य निकाय के जो इसका हिस्सा हैं या उससे जुड़े हुए हैं और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

इस ओर से "।

11. धारा 9 की उप-धारा (2) महिलाओं की पात्रता को निर्धारित करती है।

नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में नियुक्त या नामांकित होना। यह प्रावधान "कोई भी महिला पात्र नहीं होगी" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है और "ऐसे विभाग, शाखा या अन्य निकाय को छोड़कर" अभिव्यक्ति के साथ इसका अनुसरण करता है। महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के अधीन है। केंद्र सरकार को उन विभागों, शाखाओं या निकायों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है जो नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों का हिस्सा हैं या उनसे जुड़े हैं जिनमें महिलाओं को नियुक्त या नामांकित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के पास उन शर्तों को परिभाषित करने का अधिकार भी है जिन पर नियुक्ति या नामांकन हो सकता है।

संसद से। प्रतिबंध पर संयुक्त समिति के चार सदस्यों द्वारा असहमति का एक नोट जोड़ा गया था जिसे लागू करने का प्रस्ताव था भारतीय नौसेना में महिलाओं की नियुक्ति पर। संयुक्त समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध करते हुए, असंतुष्ट सदस्यों (टी. सी. एन. मेनन, के. के. वारियर, वी. के. धागे और वी. प्रसाद राव) ने कहाः

अगर हम अतीत में और विशेष रूप से हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की महिलाओं द्वारा दिखाए गए साहस और क्षमता को विस्तार से दर्ज करते हैं। लगभग सभी देशों में महिलाओं ने यह साबित किया है कि स्वयं
पुरुषों के बराबर होने के लिए, यदि अधिक नहीं तो और आज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का काम है जहां महिलाएं पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा हम महसूस करते हैं कि महिलाओं का प्रवेश [2020] 10 एस. सी. आर.

हमारी सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने से, काफी हद तक, हमारे लड़ाकों के दृष्टिकोण और मनोबल पर एक हितकारी और स्वागत योग्य प्रभाव पड़ेगा। हमारी महिलाओं के साथ किए गए इस अन्याय को हटाया जाना चाहिए और हम अनुशंसा करते हैं कि वह खंड जो महिलाओं को नौसेना में शामिल होने से रोकता है, उसे हटा दिया जाए।

13. असहमत सदस्यों ने कहा कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध केवल अनुशासन बनाए रखने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सख्ती से आवश्यक सीमा तक होना चाहिए। उनके विचार में, "भारतीय नौसेना के संबंध में संसद आज जो कानून बनाती है, वह एक ऐसा कानून होना चाहिए जो नौसेना के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

संतुष्ट पुरुषों और महिलाओं से बनी नौसेना का विकास, जिनकी प्राथमिक निष्ठा भारत के लोगों के प्रति होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की लड़ाकू ताकतों को प्राप्त करने का उद्देश्य "जहां तक संभव हो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन नहीं करना" होना चाहिए। 12 1 2

पद, सेवा के नियम और शर्तें, वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ। विनियमों को धारा 185 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। विनियमों के अध्याय I का भाग III भारतीय नौसेना के लिए 1963 के विनियम हैं। ए. एफ. टी. ने अपने निर्णय में कहा कि आवेदकों द्वारा 1963 के विनियमों के वैधानिक होने के रुख के विरोध के अभाव में यह मान लेना होगा कि विनियम धारा 184 के प्रावधानों के लिए संदर्भित हैं।

1 2 हम इस पहलू पर श्रीमती लिज़ मैथ्यू द्वारा किए गए शोध को स्वीकार करते हैं। वकील जिसने सुनवाई के दौरान इसे न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

" (2) राष्ट्रीयता. - उम्मीदवार को अविवाहित पुरुष होना चाहिए और राष्ट्रीयता के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।

सरकार "।

17. विनियमन 122 (9) के तहत, एक अधिकारी को एक वर्ष के लिए या प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, परिवीक्षा पर होना चाहिए।

विनियम 122 (14) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" (14) स्थायी आयोग। - अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किसी भी समय भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए उपयुक्त अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है। परिवीक्षा, रिक्तियों के अस्तित्व और उस समय वर्तमान नियमों के अधीन।

18. विनियमों की धारा IV एस. एस. सी. में शामिल इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारियों से संबंधित है। विनियम 124 (2) में विनियम 122 (2) के समान एक प्रावधान है जो एस. एस. सी. को केवल "अविवाहित पुरुषों" तक सीमित करता है। धारा VI में विद्युत शाखा में एस. एस. सी. का प्रावधान है। विनियम 126 (2) में "अविवाहित पुरुषों" के लिए पात्रता का समान प्रतिबंध है। विनियम 124 (14) और 126 (14) में पी. सी. के अनुदान के प्रावधान हैं।

19. विनियमों के अध्याय IX का शीर्षक "अल्पकालिक सेवा आयोग के अधिकारियों को स्थायी कमीशन का अनुदान" है। विनियम 203 पी. सी. के अनुदान के संबंध में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

" 203. स्थायी आयोग का अनुदान। - (1) नौसेना के स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन,

उप-लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के पद के अल्पकालिक सेवा आयोग के अधिकारियों को समय-समय पर स्थायी कमीशन दिया जा सकता है, जिन्हें उपयुक्त माना जाता है और जिनकी अनुशंसा उप-लेफ्टिनेंट द्वारा की जाती है।

नौसेना प्रमुख।

(2) स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके मौजूदा पद और वरिष्ठता के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थायी पद पर स्थानांतरण के समय किसी अधिकारी द्वारा धारण किए गए किसी भी कार्यवाहक पद का प्रतिधारण।

आयोग विनियमन 202 द्वारा शासित होगा।

(3) नौसेना में स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए चुने गए अल्पकालिक सेवा आयोग के अधिकारी समय-समय पर नौसेना प्रमुख द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप होंगे।

समय।

"[2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. विनियमन 203 (1) तीन कारकों के लिए पीसी के अनुदान की शर्त लगाता हैः (i) स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता;

((ख) उपयुक्तता पर विचार करना; और ((iii) नौसेना प्रमुख की सिफारिश।

विनियम 203 उप-लेफ्टिनेंट रैंक के एस. एस. सी. अधिकारियों पर लागू होता है।

और ऊपर।

21. विनियम 122 (14) और विनियम 203 के प्रावधानों की तुलना की जा सकती है। विनियम 122 (14) में कहा गया है कि नौसेना में पी. सी. के अनुदान के लिए उपयुक्त अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है।

चूंकि आवेदकों को उप-लेफ्टिनेंट के पद पर एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में भर्ती किया गया था और उसके बाद उन्हें पदोन्नत किया गया था। 22. भारतीय नौसेना की चार शाखाएँ हैं-एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग और एजुकेशन। 9 अक्टूबर 1991 को केंद्र सरकार ने धारा 9 (2) द्वारा प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति के अनुसार एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा महिलाओं को नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया।

तीन संवर्गों/शाखाओं में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में जो थेः

(i) लॉजिस्टिक्स;

((ख) विधि और ((ग) शिक्षा।

कानून और रसद संवर्ग भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा से संबंधित हैं। 23. 1963 के विनियमों को अधिसूचित किए जाने के समय, प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

धारा 9 (2) के तहत किसी भी महिला को एसएससी अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। नतीजतन, नियम केवल पुरुष अधिकारियों तक ही सीमित थे।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

अधिसूचना जो 9 अक्टूबर 1991 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, पाँच साल के लिए लागू होनी थी। धारा 9 (2) के तहत इस अधिसूचना के जारी होने का परिणाम यह था कि नौसेना के निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं के लिए महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। एक बार धारा 9 (2) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, 1963 के विनियमों में पुरुषों को एस. एस. सी. के अनुदान को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान उन कैडरों/शाखाओं के रूप में हटा दिए जाएंगे जहां महिलाओं के प्रवेश को अधिसूचित किया गया था।

24. 20 दिसंबर 1991 को रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार ने

भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में महिलाओं सहित एस. एस. सी. अधिकारियों को शामिल करने और सेवा के नियमों और शर्तों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराते हुए नौसेना प्रमुख को एक संचार को संबोधित किया। पत्र के पैरा 2 में पात्रता निर्धारित की गई है एस. एस. सी. में नियुक्ति के लिएः

" योग्यता. उम्मीदवार को अविवाहित पुरुष होना चाहिए या

महिला और राष्ट्रीयता के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए सरकार द्वारा नीचे। '

(जोर दिया गया)

पैरा 3 में निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवारों को एस. एस. सी. में शामिल किया जाएगा

सात वर्ष और यह कि अवधि की सहमति से बढ़ाया जा सकता है

एक बार में दो साल के लिए अधिकारी। पैरा 4 में विचार किया गया कि पीसी के अनुदान के संबंध में नीति 1997 में जारी की जाएगीः

इसे 1997 में घोषित किया जाएगा। पैरा 6 में निर्धारित किया गया है कि प्रवेश और पदोन्नति के लिए नियम होंगे -

नौसेना के 1963 के विनियमों के भाग III में निर्धारित, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा शाखा में पुरुष/पीसी अधिकारियों के प्रवेश के लिए स्वीकृत किया गया है, सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। पैरा 15 में निर्धारित किया गया था कि इस योजना के तहत महिलाओं को शामिल करना शुरू में पांच साल की अवधि के लिए था, जिसकी बाद में समीक्षा की जाएगी।

25. 20 दिसंबर 1991 की उपरोक्त अधिसूचना में कहा गया था -

निम्नलिखित संदर्भ संख्याः

" एमपी/0417/एनएचक्यू/1110/डीओ/डी (एन-IV) "

उसी दिन-20 दिसंबर 1991-केंद्र सरकार

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना प्रमुख [2020] 10 एस. सी. आर. को एक और पत्र लिखा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा के कानून और रसद संवर्ग में महिलाओं सहित एस. एस. सी. अधिकारियों को शामिल करने और उसमें सेवा के नियम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी देने वाले कर्मचारी। पत्र में निर्धारित किया गया था कि सेवा के नियम और शर्तें 1963 के विनियमों के विनियम 122 और केंद्र सरकार के 20 तारीख के पत्र में निर्धारित की गई होंगी।

दिसंबर 1991 शिक्षा शाखा में एस. एस. सी. अधिकारियों के प्रवेश के संबंध में, अधिसूचना में निर्धारित को छोड़कर। इस अधिसूचना की संदर्भ संख्या थीः

" एमपी/0417/एनएचक्यू/1111/डीओ/डी (एन-IV) "

26. 1 जुलाई 1992 को, रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार ने ए. टी. सी. संवर्ग में पांच साल की अवधि के लिए एस. एस. सी. में पैंतीस अधिकारियों के प्रवेश को मंजूरी दी। पैराग्राफ 11 ने पीसी के अनुदान के लिए नीति को निम्नलिखित शर्तों में निर्दिष्ट कियाः

" 11. स्थायी आयोग का अनुदान। वहाँ कोई नहीं होगा

स्थायी आयोग के अनुदान के लिए प्रावधान "।

यह निर्धारित किया गया था कि ए. टी. सी. संवर्ग में (पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए) कोई पी. सी. नहीं दिया जाएगा। 27. दक्षिणी नौसेना कमान ने 15 मई 1998 के एक पत्र में नौसेना के 20 अप्रैल 1998 के पहले के एक पत्र का संदर्भ दिया था।

मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि महिला एस. एस. सी. अधिकारियों की सेवाओं को अधिकारियों की सहमति से दस साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था, जिसमें प्रत्येक विस्तार दो साल से अधिक नहीं था।

28. 6 नवंबर 1998 को, केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारतीय नौसेना की सभी शाखाओं में महिलाओं को अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाने के लिए धारा 9 (2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कियाः

(क) कार्यकारी;

((ख) इंजीनियरिंग;

((ग) विद्युत; और

((घ) शिक्षा।

धारा 9 (2) के तहत शक्ति के पहले के प्रयोग ने महिलाओं को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बना दिया था। लॉजिस्टिक्स और लॉ कैडर और शिक्षा शाखा।

भारत और ओ. आर. एस. का अगला एन. आई. ओ. एन. वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

दिनांक 6 नवंबर 1998 1 3 13 ने पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया

भारतीय नौसेना की सभी चार शाखाओं के लिए धारा 9 (2)।29. 25 फरवरी 1999 को, रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार ने मुख्य नौसेना कर्मचारी को एक पत्र लिखा। कैशन की सामग्री का वर्तमान मामले में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और इसलिए नीचे दिए गए हैं:

नहीं। एमपी/0417/1/एनएचक्यू/425 डी (एन-II)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1999

(30 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) विषयः एस. एस. सी. अधिकारियों की सेवा की शर्तें और शर्तें (महिलाओं सहित)

साहब,

मुझे भारत सरकार, एमओडी पत्र संख्या एमपी/0417/एनएचक्यू/1110/डीओ/डी (एन-IV) दिनांक 20 दिसंबर 1991 और एमपी/0417/1/एनएचक्यू/1111/डीओ/डी (एन-IV) दिनांक 20 दिसंबर 1991 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है।

निम्नलिखित के लिए राष्ट्रपतिः

(क) स्थायी आयोग का अनुदान। स्थायी कमीशन देने की नीति विनियमन नौसेना भाग III के अनुच्छेद 203, अध्याय IX के अनुसार होगी।

(ख) रोजगार/समुद्री सेवा। सभी शाखाओं की महिला अधिकारी /

कैडरों को बोर्ड जहाजों पर सेवा करने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है। प्रशिक्षण और बाद के रोजगार की आवश्यकताएँ होनी चाहिए -

सेवा की आवश्यकता होती है।

28 नवंबर 1998 [2020] 10 एस. सी. आर. पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त/नौसेना) की 1999 की आईडी संख्या 22/एनए/एस के माध्यम से सहमति के साथ जारी किया गया है।

आप

की वफादारी से,

(एसएन गुप्ता)

भारत सरकार के अवर सचिव

डी. एफ. ए. (एन), नई दिल्ली-2 प्रतियाँ "

30. उपरोक्त संचार में दोनों का संदर्भ है।

20 दिसंबर 1991 के पहले के पत्र, जिन्हें हमने ऊपर नोट किया है संदर्भ संख्या एमपी/0417/एनएचक्यू/1110/डीओ/डी (एन-IV) और एमपी/0417/एनएचक्यू/1111/डीओ/डी (एन-IV)।

31. उपरोक्त दिनांकित संचार के दो महत्वपूर्ण पहलू

25 फरवरी 1999 हैं: पहला, महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने की नीति 1963 के विनियमों के अध्याय IX के विनियम 203 के अनुसार होगी और दूसरा, सभी शाखाओं और संवर्गों की महिला अधिकारियों को प्रशिक्षण और बाद के रोजगार दोनों के दौरान सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार जहाज पर सेवा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

32. इसके बाद 27 फरवरी 2002 को केंद्र सरकार ने

नौसेना में एस. एस. सी. अधिकारियों के कार्यकाल को चौदह साल तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराया।

33. जुलाई 2002 में, भारतीय नौसेना ने आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया।

ए. टी. सी. और रसद संवर्गों और शिक्षा शाखा में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं से आवेदन। आवेदन आमंत्रित करते समय, विज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया था कि:

लघु सेवा आयोग

5. अल्पकालिक सेवा आयोग 07 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एस. एस. सी. का कार्यकाल पूरा होने पर, अधिकारी

नियमों के तहत प्रवेश के रूप में ग्रेच्युटी के साथ जारी किए जाते हैं।

भारत और ओआरएस के संघ पर आधारित। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उनके प्रदर्शन और सेवा की आवश्यकताएँ, योग्य

स्थायी आयोग के लिए भी अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है। 34. एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व था कि 'योग्य अधिकारी'

पीसी के लिए उनके प्रदर्शन और सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जा सकता है।

35. इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि महिला एस. एस. सी.

एनी नागराजा के मामले में अधिकारियों को 1992 और 2001 के बीच 9 अक्टूबर 1991,20 दिसंबर 1991 और 1 जुलाई 1992 की अधिसूचनाओं के अनुसार शामिल किया गया था। दूसरी ओर, प्रिया खुराना के मामले में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को जुलाई 2002 में जारी विज्ञापन के अनुसार एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था।

36. 26 सितंबर 2008 को, रक्षा मंत्रालय ने एक संचार जारी किया

पीसी के अनुदान के संबंध में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख

एसएससी महिला अधिकारियों के लिए। संचार, जो वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है, नीचे निकाला गया हैः

सं. 12 (1)/2004-डी (एजी)। पं. II

भारत सरकार,

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2008

को।

वायु सेना प्रमुख

विषयः एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन

मुझे शॉर्ट सर्विस को संभावित रूप से स्थायी कमीशन देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। आयोग (महिला) अधिकारियों को सेना के न्यायाधीश महाधिवक्ता (जे. ए. जी.) विभाग और सेना शिक्षा कोर (ए. ई. सी.) और नौसेना और वायु सेना में उनकी संबंधित शाखा/संवर्ग में शामिल किया जाएगा। एस. एस. सी. (पुरुष) अधिकारियों को पी. सी. अनुदान के लिए वर्तमान प्रावधान के अलावा वायु सेना की लेखा शाखा और नौसेना के नौसेना निर्माता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. इस संबंध में उपयुक्त प्रशासनिक निर्देश संबंधित सेवा मुख्यालयों द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. यह एमओडी (वित्त) की सहमति के साथ उनके यूओ नंबर 552/एजी/पीए दिनांक 26.9.2008 के माध्यम से जारी किया गया है।

(एस
. सी. बार्मा)

निदे
शक (ए. जी.)

प्रतिलिपि बनाएँः - मानक वितरण के अनुसार "
37. उपरोक्त संचार के दो महत्वपूर्ण पहलू हैंः

सबसे पहले, एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं में "शामिल" करने के लिए पी. सी. का अनुदान दिया गया था। नतीजतन, पीसीएस

महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को, जो पहले से ही सेवा में थीं, इनकार कर दिया गया था और दूसरा, पी. सी. को सेना, नौसेना और वायु सेना में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों के मामले में विशिष्ट संवर्गों और शाखाओं तक सीमित कर दिया गया था। जहाँ तक नौसेना का संबंध है, न्यायाधीश महाधिवक्ता 1,4 और शिक्षा शाखाओं से संबंधित संवर्गों/शाखाओं में पी. सी. दिए जाने थे। नौसेना के नौसेना निर्माता कैडर के अलावा सेना की। 26 सितंबर 2008 के संचार में 25 फरवरी 1999 के पहले के नीति संचार का कोई संदर्भ नहीं है।

38. 3 दिसंबर 2008 को, का एकीकृत मुख्यालय

रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने निम्नलिखित शाखाओं/संवर्गों से नौसेना में पीसी के अनुदान के लिए एसएससी अधिकारियों के चयन के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किएः

बैच की शुरुआत

एसआरएल

शाखा/संवर्ग

टिप्पणियां

(अ)

शिक्षा

जून 09

महिलाएँ
अधिकारीगण

जब निर्धारित किया जाता है

(ख)

एक्स/कानून

((ग)

ई/नौसेना वास्तुकला

09 जुलाई

39. उपरोक्त सारणीकरण इंगित करता है कि पी. सी. का अनुदान था

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल जनवरी 2009 के बाद और केवल तीन कैडरों/शाखाओं में शामिल किए गए बैचों के लिए संभावित रूप से परिकल्पना की गई है। यह 26 सितंबर 2008 के पहले के निर्णय के संदर्भ में था। पैरा 4

पीसी के अनुदान के लिए एसएससी अधिकारियों का चयनः

14 " जेएजी "यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" 4. बोर्ड का गठन। शाखाओं के एस. एस. सी. अधिकारियों के चयन के लिए सी. ओ. पी. की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। पी. सी. के अनुदान के लिए उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित संवर्ग। बोर्ड भारतीय नौसेना भाग III (सांविधिक) के लिए विनियमों के विनियम 203 द्वारा निर्देशित होगा।

40. पैरा 5 जो चयन से संबंधित है, निम्नानुसार प्रदान करता हैः

" 5. चयन। इसके बाद योग्य अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। शाखा/संवर्गवार चयन अधिकारियों पर आयोजित ए. सी. आर. के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

रिक्तियों की उपलब्धता पर विचार और अधीनता "।

41. दूसरे शब्दों में, पी. सी. अनुदान के लिए अधिकारियों का चयन वार्षिक आधार पर निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जाना है।

गोपनीय रिपोर्ट 15 1 5 विचाराधीन अधिकारियों की और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन।

42. बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय द्वारा रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम बबीता पुनिया में हाल ही में दिए गए निर्णय का विषय रहा है। यह न्यायालय

निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

" 69. हम तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2019 के पत्र के रूप में इन कार्यवाहियों में रिकॉर्ड पर रखी गई नीति के बयान को रिकॉर्ड में लेते हैं और निम्नलिखित जारी करते हैं -

दिशा निर्देशः

(i) केंद्र सरकार द्वारा उन सभी दस धाराओं में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. अनुदान देने की अनुमति देने के लिए लिया गया नीतिगत निर्णय, जहां महिलाओं को भारतीय सेना में एस. एस. सी. प्रदान किया गया है, निम्नलिखित के अधीन स्वीकार किया जाता हैः

(क) एस. एस. सी. में सभी सेवारत महिला अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।

पी. सी. के अनुदान के लिए, चाहे उनमें से कोई भी चौदह वर्ष या बीस वर्ष को पार कर चुका हो।

सेवा के वर्ष;

(ख) यह विकल्प वर्तमान में सभी महिलाओं को दिया जाएगा।

एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में सेवा;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) एस. एस. सी. में चौदह वर्ष से अधिक की सेवा वाली महिला अधिकारी जो पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का विकल्प नहीं चुनती हैं, वे बीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की हकदार होंगी।

(घ) एक बार के उपाय के रूप में, पेंशन योग्य सेवा की प्राप्ति तक सेवा में बने रहने का लाभ उन सभी मौजूदा एस. एस. सी. अधिकारियों पर भी लागू होगा जिनके पास चौदह से अधिक हैं।

सेवा के वर्ष जो पीसी पर नियुक्त नहीं किए जाते हैं;

(ई) पैरा 5 में "केवल विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में" और पैरा 6 में "केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों पर" अभिव्यक्ति नहीं होगी

लागू किया गया;

(च) बीस साल से अधिक की सेवा वाली एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया है, वे नीतिगत निर्णय के संदर्भ में पेंशन पर सेवानिवृत्त होंगी; और

(छ) पीसी के अनुदान का विकल्प चुनने के चरण में, सभी विकल्प

विशेषज्ञता के लिए महिला अधिकारियों के लिए पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए समान शर्तों पर उपलब्ध होगा। महिला एस. एस. सी. अधिकारी समान शर्तों पर पी. सी. अनुदान के लिए विचार किए जाने के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने की हकदार होंगी।

उनके पुरुष समकक्षों के रूप में।

i) हम उप-पैरा में जारी किए गए स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं।

((i) के आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुच्छेद 61 का

दिल्ली उच्च न्यायालय; और

एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. प्रदान किया जाता है

उपरोक्त निर्देश सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।

पदोन्नति और वित्तीय लाभ सहित। हालांकि, ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो सेवा में हैं या जिन्होंने रिट याचिका दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और जो इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।

कार्यवाही की विचाराधीनता "।

प्रस्तुतियाँ

. श्री संजय जैन, भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

आग्रह करके उनकी प्रस्तुतियाँः

सेना या वायु सेना के विपरीत भारतीय नौसेना में समुद्र में जाने वाले कर्तव्यों की एक विशिष्ट विशेषता है क्योंकि कोई तत्काल नहीं है।

आधार पर लौटें; भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((ख)

महिलाओं को समुद्र में जाने से बाहर रखने की नीति रही है। रसद संवर्ग के अपवाद के साथ शाखाएँ;

(iii)

प्रेरण की अनुमति देने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं

पीसी पर महिला एसएससी अधिकारीः भारतीय नौसेना काफी हद तक रूसी मूल के जहाजों पर काम करती है जिसमें

महिलाओं के लिए शौचालय सुविधाओं का अभाव; और

(iv) निकट भविष्य में पीसी पर महिला अधिकारियों के लिए समुद्र में जाने वाले कर्तव्यों से जुड़ी कुछ शाखाओं को खोले जाने की संभावना है क्योंकि नौसेना के बेड़े में नए जहाज शामिल किए गए हैं।

44. श्री जैन ने कहा कि भारतीय नौसेना पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करती है। 1991 में एस. एस. सी. को कानून में खोला गया था। और लॉजिस्टिक्स कैडर और शिक्षा शाखा एक समान आधार पर। इन शाखाओं में एटीसी (1991), नौसेना निर्माता (2001), नौसेना आयुध निरीक्षणालय (2017) और पर्यवेक्षक विशेषज्ञता (2018) को जोड़ा गया। जहां तक पीसी की बात है, 26 सितंबर 2008 को लिए गए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप, कानून और नौसेना निर्माता कैडर और शिक्षा शाखा

जिसे 2017 में नौसेना शस्त्रागार के साथ खोला गया था

निरीक्षणालय। श्री जैन ने कहा कि भारतीय नौसेना का आकार अन्य सशस्त्र बलों की तुलना में बहुत छोटा है, जिसके परिणामस्वरूप,

पिरामिड संरचना सेना और वायु सेना की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से संतृप्त होती है। अपनी दलीलों के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री जैन ने आग्रह किया किः

((i)

बबीता पुनिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

हाल ही में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था;

1957 के अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधान इसके तहत नहीं हैं।

((ख)

चुनौती;

iii)

भारत में महिलाओं के लिए जो रास्ते खुले हैं

नौसेना धारा 9 (2) के तहत शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न होती है;

(iv) एस. बी.

(पीसी के माध्यम से सीधा प्रवेश कोई मुद्दा नहीं है

वर्तमान अपीलें; और

(v)

पी. सी. का अनुदान स्वचालित नहीं है, बल्कि मूल्यांकन पर है योग्यता आपस में।

45. संघ द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की रक्षा में

26 सितंबर 2008 को सरकार ने एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को संभावित और निर्धारित संवर्गों/शाखाओं में पी. सी. का अनुदान देते हुए श्री जैन ने कहा कि 20 [2020] 10 एस. सी. आर. पर महिलाओं को एस. एस. सी. का अनुदान देने की परिकल्पना की गई है।

महिलाओं सहित यह निर्धारित किया गया कि पीसी के अनुदान के लिए नीति "विनियमन 203 के अनुसार होगी"। उनके प्रस्तुतिकरण में, 1999 की नीति इस तथ्य का संकेत थी कि केंद्र सरकार भविष्य में एक नीति तैयार करना चाहती थी। यह तर्क दिया गया था कि ऐसी नीति 2008 में बनाई गई थी जिसके आधार पर कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया था। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय नौसेना के मामले में, एस. एस. सी. में भर्ती महिला अधिकारियों को पीसी दिए जाने का कोई वादा नहीं किया गया था। भविष्य। इस आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि 25 फरवरी 1999 को अधिसूचित नीति के आधार पर एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए, केंद्र सरकार ने पहली बार 26 सितंबर 2008 को एक नीति को अधिसूचित करके इसे संभावित बना दिया और इसके अनुप्रयोग को निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं तक सीमित कर दिया।

46. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने आग्रह किया किः

प्रतिबंध जो महिलाओं की पात्रता पर लगाया जाता है

((i)

भारतीय नौसेना में नियुक्ति या नामांकन के लिए हटा लिया जाता है

केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी करने पर

1957 के अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत सरकार;

((ख)

धारा 9 (2) के तहत अधिसूचना जारी होने पर

9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 को, प्रावधान

पीसी के अनुदान के लिए 1963 के विनियमों में निहित होगा

प्रोप्रियो वीगोर लागू करें;

परिणामस्वरूप, एक अधिसूचना जारी होने पर

(iii)

धारा 9 (2), विनियम 122 (2), 124 (2) और 126 (2) में केवल पुरुष अधिकारियों के लिए पात्रता को सीमित करने वाले प्रतिबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि विनियम निम्न के अधीन हैं -

मूल क़ानून;

(iv) 1963 के विनियमों के अध्याय IX का विनियम 203

रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता पर विचार के अधीन पीसी के अनुदान के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है और

नौसेना प्रमुख की सिफारिश;

(v)

20 दिसंबर 1991 को केंद्र सरकार ने

भारत और ओ. आर. एस. को शामिल करने के लिए कुछ कैडरों/शाखाओं को खोलना।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराज डी. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

महिलाओं सहित अल्पकालिक सेवा आयोग अधिकारी

इस बात पर विचार किया गया कि पी. सी. के अनुदान के लिए नीति 1997 में लागू की जाएगी। 25 फरवरी 1999 को जारी की गई नीति में रक्षा मंत्रालय के 20 दिसंबर 1991 के दो पत्रों का एक विशिष्ट संदर्भ था और इसलिए यह पहले की प्रतिबद्धता के लिए संदर्भित है।

6 नवंबर 1998 को, धारा 9 (2) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कार्यकारी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और शिक्षा शाखाओं में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी। इन चार शाखाओं में शामिल हैं उन्नीस उप-शाखाएँः

कार्यकारी शाखा

13

इंजीनियरिंग शाखा

2

विद्युत शाखा

2

शिक्षा शाखा

2

25 फरवरी 1999 के नीतिगत संचार में निर्धारित किया गया था कि पीसी के अनुदान के लिए नीति विनियमन 203 के अनुसार होगी और विशेष रूप से महिलाओं के लिए समुद्री सेवा की अनुमति होगी।

केंद्र सरकार का निवेदन है कि नीति

25 फरवरी 1999 का दस्तावेज़ केवल भविष्य में एक नीति तैयार करने का इरादा है जो स्पष्ट शर्तों द्वारा गलत है

दस्तावेज़ के साथ-साथ एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए जुलाई 2002 में जारी विज्ञापन द्वारा, जिसमें उनके बारे में विचार किया गया था

पी. सी. के अनुदान के लिए विचार; और

26 सितंबर 2008 को जारी की गई नीति को ए. एफ. टी. द्वारा मनमाना और अमान्य माना गया है। इस नीति में 1991 में जारी अधिसूचनाओं या 25 फरवरी 1999 की राष्ट्रपति की मंजूरी का कोई संदर्भ नहीं है। फाइलों की समीक्षा पर, ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 25 फरवरी 1999 को जारी की गई मंजूरी बोर्ड के समक्ष नहीं रखी गई थी जिसने 26 सितंबर 2008 की बाद की नीति को अपनी मंजूरी दी थी। 26 सितंबर 2008 के नीति दस्तावेज के परिणामस्वरूप, उन महिला अधिकारियों को पी. सी. से पूरी तरह से वंचित कर दिया जाएगा।

1991 के बाद भर्ती की गई, जिसमें [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत भर्ती किए गए लोग भी शामिल हैं।

जुलाई 2002 में जारी विज्ञापन जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था

कि योग्य मामलों में पी. सी. प्रदान किए जा सकते हैं।

उपरोक्त तर्क पर, श्री सी. यू. सिंह ने आग्रह किया है कि कोई नहीं है

भारत संघ द्वारा दायर अपीलों में। श्री सी. यू. सिंह ने जोर देकर कहा

पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 1 जुलाई 2018 तक नौसेना की बढ़ी हुई संख्या 11,352 थी। आयोजित जी. टी. एच. 9,746 था, जिसके परिणामस्वरूप 1,606 अधिकारियों की कमी थी। 1 2019 तक, अधिकृत संख्या 11,567 है जबकि आयोजित संख्या है

2 , इसके परिणामस्वरूप 1,555 अधिकारियों की कमी हो गई।

47. विद्वान वकील श्री संतोष कृष्णन ने आग्रह किया हैः ((i)

नीति पत्र दिनांक 26 सितंबर 2008, जहाँ तक यह है

संभावित और कुछ कैडरों तक सीमित है / शाखाओं को अलग रखा जा सकता है। रसद संवर्ग और शिक्षा शाखा में पुरुष अधिकारियों को सीधे पीसी अधिकारियों के रूप में शामिल किया जाता है। एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने के लिए विचार करने से पूरी तरह इनकार करना भेदभावपूर्ण है।

प्रकृति;

((ख)

26 सितंबर 2008 का नीति पत्र अधिकार से बाहर है।

25 फरवरी 1999 का नीति पत्र और 1963 के विनियमन का विनियमन 203। इस संबंध में ए. एफ. टी. के निष्कर्षों को बरकरार रखा जाना चाहिए। नियमन 203, अधीनस्थ के रूप में

कानून, कार्यकारी निर्देशों से अधिक है;

(iii)

केंद्र सरकार ने इस अदालत के समक्ष चुनौती दी है

ए. एफ. टी. का निर्णय केवल एक ओ. ए. में। नतीजतन, माना जाता है कि केंद्र सरकार ने अन्य महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए ए. एफ. टी. के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

जिन्हें जुलाई 2002 में जारी विज्ञापनों के अनुसरण में शामिल किया गया था; और

((iv) ए. एफ. टी. के फैसले पर इस न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी। इसे लागू करने में केंद्र सरकार की विफलता है

ए. एफ. टी. का निर्णय जिसके कारण समान सुरक्षा की मांग करने वाले अधिकारियों द्वारा 2016 से व्यापक मुकदमेबाजी की जा रही है। पिछले दस वर्षों में लगभग 160 पुरुषों को प्रत्यक्ष पीसी अधिकारियों के रूप में भर्ती किया गया है। यह उनकी ओर से आग्रह किए गए तर्क को झुठलाता है

केंद्र सरकार ने कहा कि रसद संवर्ग में एक 'कार्मिक संतृप्ति' है। कैडर में संतृप्ति, यदि कोई हो, भारत और ओ. आर. एस. को लागू करने में केंद्र सरकार की विफलता का परिणाम है।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराज डी. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एएफटी का निर्णय। एनी नागराजा और प्रिया खुराना के मामले में बाध्यकारी निर्देशों के बावजूद महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को विचार के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

मामला।

क्या हरिप्रिय पद्मनाभन, एंट नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हैं। एनी नागराजा के मामले में दो से छह ने आग्रह कियाः

एस. एस. सी. पुरुष अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में पी. सी. प्रदान किए गए हैं।

नौसेना के विभाग। एस. एस. सी पुरुष को पी. सी. का अनुदान

उन संवर्गों में एस. एस. सी. में महिलाओं को शामिल करने के बाद कुछ संवर्गों के अधिकारियों को रोक दिया गया था। इन निर्दिष्ट धाराओं में पुरुष अधिकारियों को पी. सी. भी दिए जाने चाहिए।

1991 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में निर्धारित किया गया था कि पीसी के अनुदान के लिए नीति 1997 में लागू की जाएगी। महिला अधिकारी, एस. एस. सी. में शामिल इन अधिसूचनाओं के अनुसार, एक वैध अपेक्षा थी कि उन पर पीसी के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा;

नियम; जुलाई 2002 में जारी किए गए विज्ञापनों में एक एक्सप्रेस था।

शर्त कि योग्य एस. एस. सी. अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है

पीसी के अनुदान के लिए; और

दूसरे से छठे उत्तरदाताओं को 1992 और 1994 के बीच भारतीय नौसेना में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और वे नौसेना में महिला अधिकारियों के पहले बैच में से थे। उन्होंने अपनी सेवा पूरी की और उन्हें रिहा कर दिया गया।

26 सितंबर 2008 को नीति पत्र जारी करने से पहले 2006 और 2008 के बीच। यद्यपि 20 नवंबर 2015 के इस न्यायालय के अंतरिम आदेश ने नीति जारी करने की तारीख को केवल उन महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को ही सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र के आधार पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का उनका अधिकार उत्पन्न हुआ। हालाँकि बारह वर्षों से सेवा से बाहर, यह [2020] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय उनकी बहाली और अनुदान पर विचार कर सकता है

पीसी।

श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री संतोष कृष्णन, विद्वान वकील द्वारा किए गए आग्रह के अनुरूप प्रस्तुतियों का प्रचार किया गया। इन प्रस्तुतियों के अलावा, यह आग्रह किया गया कि वर्तमान मामले की तरह, चेहरे से तटस्थ कानूनों का महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रभाव है। यह आग्रह किया गया कि पुरुष अधिकारियों को हमेशा एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में या सीधे पी. सी. अधिकारियों के रूप में शामिल किए जाने के बीच एक विकल्प दिया गया है। पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान पर विचार न किए जाने के बावजूद, पी. सी. के रास्ते वास्तव में पुरुषों के लिए उपलब्ध थे। दूसरी ओर, महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को न तो सीधे पी. सी. अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जाता है और न ही एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान के लिए माना जाता है। यह आग्रह किया गया कि यह केंद्र सरकार की इस दलील को झुठलाता है कि एस. एस. सी. के पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों का पी. सी. के अनुदान के लिए विचार नहीं करना लैंगिक रूप से तटस्थ है और भेदभावपूर्ण नहीं है।

50. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं।

डी प्रारंभिक आपत्ति

51. योग्यता के आधार पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, एक प्रारंभिक आपत्ति का विज्ञापन करना आवश्यक है जिसका आग्रह किया गया था

श्री सी. यू. सिंह, प्रिया खुराना के मामले में भारत संघ द्वारा दायर अपील की स्थिरता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। श्री सी. यू. सिंह

आग्रह किया कि जब एस. एस. सी. महिला अधिकारियों ने ए. एफ. टी. के फैसले को चुनौती देने की मांग की, तो अपील करने की अनुमति अलग से मांगी गई और ए. एफ. टी. द्वारा इस अदालत में जाने की अनुमति दी गई। इसके कारण अधिकारियों द्वारा छह दीवानी अपीलें दायर की गईं। हालाँकि, भारत संघ ने केवल एक ओ. ए. में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए ए. एफ. टी. की अनुमति मांगी। कोई छुट्टी नहीं थी। अन्य ओ. ए. में अपील करने की मांग की। श्री सी. यू. सिंह ने आग्रह किया कि ए. एफ. टी. छह ओ. ए. में एक सामान्य निर्णय दे। भारत संघ ने ए. एफ. टी. से उत्पन्न होने वाले मामलों में से केवल एक मामले में अपील दायर की थी, यह आग्रह किया गया था कि सामान्य निर्णय केंद्र सरकार को बाध्य करता है और अन्य पांच ओ. ए. में न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। इस प्रस्तुति में,

ए. एफ. टी. का निर्णय जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नीति संचार दिनांक 26

17 2011 की सिविल अपील 3359 18 2016 की सिविल अपील संख्या 1 9 2017 की सिविल अपील संख्या 3359 भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सितंबर 2008 भारत संघ को उन पांच मामलों में बाध्य करता है जहां कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि भारत संघ केवल उन छह मामलों में से एक में अपील दायर करने के लिए खुला नहीं है जहां समान तथ्यों पर एक सामान्य निर्णय दिया गया है। इस संदर्भ में, श्री गंगई में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई थी

विनयगर मंदिर बनाम मीनाक्षी अनमोल 2 0

52. उपरोक्त निवेदन का विरोध करते हुए श्री संजय जैन ने ए. एस. जी. के बारे में सीखा

मान लिया कि श्री सी. यू. सिंह द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह उत्पन्न हुआ

एक दीवानी मुकदमे के संदर्भ में जबकि ए. एफ. टी. अधिनियम 2007 के तहत योजना सूचीबद्ध है।

53. ए. एफ. टी. अधिनियम 2007 की धारा 30 (1) निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 30. सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। – (1) धारा 31 के प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय या आदेश (धारा 19 के तहत पारित आदेश के अलावा) के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगीः

बशर्ते कि ऐसी अपील उक्त निर्णय या आदेश के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जाती है।

बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी न्यायाधिकरण का अंतर्वर्ती आदेश "।

धारा 31 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 31. अपील करने के लिए छोड़ दें। — (1) उच्चतम न्यायालय में एक अपील न्यायाधिकरण की अनुमति के साथ होगी और ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यह न्यायाधिकरण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है, या यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि वह बिंदु वह है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(2) सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए न्यायाधिकरण को एक आवेदन न्यायाधिकरण के निर्णय की तारीख से शुरू होने वाले तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और छुट्टी के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक आवेदन तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा जिस तारीख को न्यायाधिकरण द्वारा छुट्टी के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।

(3) एक अपील को तब तक लंबित माना जाएगा जब तक कि अपील करने की अनुमति के लिए किसी भी आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है और यदि अपील करने की अनुमति दी जाती है,

जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता; और अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन को उस समय की समाप्ति पर निपटाया गया माना जाएगा जिसके भीतर यह किया गया हो सकता है, लेकिन यह उस समय के भीतर नहीं किया गया है जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता है।

उस समय "।

उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या भारत संघ बनाम ब्रिगेडियर पी. एस. गिल 1 में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी। यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि ए. एफ. टी. के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए दो अलग-अलग मार्ग हैं (अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अधिकार क्षेत्र में पारित आदेश के अलावा)। पहला मार्ग न्यायाधिकरण द्वारा धारा 31 (1) के तहत उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए अनुमति प्रदान करना है। दूसरा मार्ग इस न्यायालय को न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने का अधिकार देता है यदि इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि यह वह मुद्दा है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में न्यायालय ने कहाः

" 8. ऊपर निकाले गए अधिनियम की धारा 31 विशेष रूप से प्रदान करती है

उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए लेकिन ऐसी अपील के लिए दो अलग-अलग मार्ग निर्धारित करता है। इस न्यायालय के लिए पहला मार्ग न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह की अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए स्वीकृत किया गया है। धारा 31 (1) किसी भी अनिश्चित शर्तों में इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से मना करती है जब तक कि न्यायाधिकरण यह प्रमाणित नहीं करता है कि निर्णय में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि धारा 31 इस न्यायालय में न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश या निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर करने का निहित, अक्षम्य या पूर्ण अधिकार नहीं बनाती है। इस तरह की अपील से पहले न्यायाधिकरण की अनुमति होनी चाहिए और इस तरह की अनुमति से पहले

न्यायाधिकरण द्वारा एक प्रमाण पत्र कि अपील में सामान्य सार्वजनिक महत्व का कानून का एक बिंदु शामिल है।

9. इस न्यायालय तक पहुँचने का दूसरा और एकमात्र अन्य मार्ग भी धारा 31 (1) में ही पाया जाता है। अभिव्यक्ति "या यह उच्चतम न्यायालय को प्रतीत होता है कि मुद्दा वह है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए" इस न्यायालय को न्यायाधिकरण के ऐसे किसी भी अंतिम निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने का अधिकार देता है।

उनके अलावा इस न्यायालय को न्यायाधिकरण का आदेश या निर्णय अधिनियम की धारा 30 (2) के तहत आता है। लाने के लिए एकमात्र तरीका

21 (2012) 4 एससीसी 463 भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अपील में इस न्यायालय का मामला या तो उस न्यायाधिकरण से प्राप्त प्रमाण पत्र के माध्यम से है जिसने मामले का फैसला किया है या धारा 31 के तहत इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके इस आधार पर अपील दायर करने के लिए है।
इस बात पर कि क्या यह न्यायालय मामले में शामिल बिंदु को ऐसा मानता है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

54. अदालत ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या कोई आवेदन है

धारा 31 के तहत अपील करने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र के लिए पहले न्यायाधिकरण से संपर्क किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भेजा जा सकता है। धारा 31 (1) के पहले भाग की शर्तें। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यथित पक्ष धारा 31 (2) के साथ पठित धारा 31 (1) के तहत अपील दायर करने की अनुमति के लिए सीधे इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहाः

" 14. धारा 31 की योजना अनुदान के लिए एक आवेदन है।

पीड़ित पक्ष द्वारा अपील दायर करने के लिए अनुमति देने के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने से पहले, किसी प्रमाण पत्र को पहले न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि यदि न्यायाधिकरण स्वयं अपील दायर करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो पीड़ित पक्ष के लिए ऐसी अपील दायर करने की अनुमति के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना अनावश्यक होगा। प्रमाण पत्र द्वारा एक अपील तब धारा 30 को देखते हुए अधिकार के मामले के रूप में बनाए रखने योग्य होगी जो इस अभिव्यक्ति का उपयोग करती है कि "सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील होगी"। यह हमें धारा 30 के प्रावधानों के स्पष्ट अध्ययन पर सही कानूनी स्थिति प्रतीत होती है और

31. "

55. विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया है कि हालांकि केंद्र सरकार ने साथी पांच मामलों के लिए ए. एफ. टी. द्वारा छुट्टी देने की मांग नहीं की थी

और वास्तव में केवल एक मामले में छुट्टी देने की मांग की गई थी, इसलिए उन्हें ए. एफ. टी. के फैसले को चुनौती देने से नहीं रोका जाना चाहिए। श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि ए. एफ. टी. द्वारा कानूनी प्रश्नों से संबंधित दूरगामी महत्व के मुद्दों से निपटने के लिए एक सामान्य निर्णय दिया गया है और इसलिए न्यायालय के लिए गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करना वांछनीय होगा। 56. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों में उठाए गए मुद्दों के गुण-दोष पर तर्क दिए हैं। फिर भी हम चाहते हैं

26 तारीख के पॉलिसी पत्र की वैधता और प्रभाव पर निर्णय लेना।

एनी नागराजा और प्रिया खुराना के मामले में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों द्वारा दायर अपीलों में सितंबर 2008। अंतिम [2020] 10 एस. सी. आर. देने के लिए।

न्यायनिर्णयन, हम योग्यता के आधार पर अपीलों से निपटने का प्रस्ताव करते हैं। हम चले जाते हैं।

श्री सी. यू. सिंह की प्रारंभिक आपत्ति में उठाए गए कानून के प्रश्न को भविष्य में एक उपयुक्त मामले में विचार करने के लिए खोलें।

26 सितंबर 2008 के नीति पत्र की वैधता

57. संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को कानून द्वारा किस हद तक प्रतिबंधित या निरस्त किया जा सकता है।

सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए आवेदन "ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके"। इस आवश्यकता के अलावा कि एक प्रतिबंध कानून द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 33 प्रतिबंध या निरसन और कर्तव्यों के उचित निर्वहन और सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता के बीच एक संबंध स्थापित करता है। 58. लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ, 2 में जनरल कोर्ट मार्शल बुलाने के आदेशों की वैधता और इसकी संरचना पर सवाल उठाया गया था। यह तर्क दिया गया था कि कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा

इसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप ही किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि कोई भी प्रतिबंध कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए।

ऐसी प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करना होगा। न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए निम्नलिखित में सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में प्रतिस्पर्धी हितों पर विचार किया जाना चाहिए।

शर्तें:

" 14. सशस्त्र कर्मियों के संबंध में बिना किसी भेदभाव के इस देश के सभी नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून द्वारा की गई घुसपैठ या अतिक्रमण की सीमाओं की जांच और सटीक रूप से पता लगाते समय, अदालत को दो परस्पर विरोधी सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए; अर्थात्

किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सशस्त्र कर्मियों में अनुशासन, क्योंकि यह स्वयं दूसरों द्वारा मौलिक अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को इन मौलिक अधिकारों से वंचित करेगा जो अविभाज्य हैं।

सभ्य जीवन के पूरक "।

22 (1982) 3 एस. सी. सी. 140 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

न्यायालय ने कहा कि राष्ट्र के सशस्त्र बलों के रखरखाव और तैयारी में सार्वजनिक हित को सशस्त्र बलों में अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के निरसन या प्रतिबंध को संतुलित करने में समान रूप से बाध्यकारी सार्वजनिक हित के साथ तौला जाना चाहिए। इस कारण से, अनुच्छेद 33 निर्दिष्ट करता है कि लगाया गया कोई भी प्रतिबंध कानून द्वारा और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। अदालत ने चुनौती को खारिज कर दिया और कहाः

..... अनुच्छेद 33 यह बाध्य नहीं करता है कि संसद को भाग III में निहित प्रत्येक मौलिक अधिकार को विशेष रूप से जोड़ना चाहिए और अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून में प्रत्येक अधिकार के प्रतिबंध या पूर्ण निरस्तीकरण की डिग्री निर्दिष्ट करनी चाहिए। वह अनुच्छेद 33 में एक ऐसी आवश्यकता को पढ़ना होगा जिसका वह आदेश नहीं देता है। इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कोर्ट मार्शल द्वारा अपराधों के मुकदमे के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली कानून को अनुच्छेद 21 की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए क्योंकि जिस हद तक प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित की गई है और यदि यह अनुच्छेद 21 का अपमान करती है, तो उस हद तक सशस्त्र बलों को अपने आवेदन में अनुच्छेद 21 को सेना में प्रक्रिया के अधिनियमन द्वारा संशोधित किया जाता है।

स्वयं कार्य करें "।

59. आर. विश्वन बनाम भारत संघ में, 23 मुद्दों में से एक संबंधित है कि क्या सेना अधिनियम, 1950 की धारा 21 को सेना अधिनियम, 1950 के अध्याय IV के साथ पढ़ा जाता है।

सेना नियम, 1954 संविधान के अनुच्छेद 33 के दायरे में आता है। धारा 21 केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने में "इस हद तक और इस तरह से जो आवश्यक हो" को प्रतिबंधित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है। 1950 के अधिनियम के अधीन। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" इस प्रकार एक साधारण अध्ययन से पता चलता है कि उनके मौलिक अधिकारों में से किसी पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की सीमा

अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों और बलों को आवेदन

वे अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय पर मौजूदा स्थिति पर निर्भर करेंगे और इसे एक कठोर वैधानिक सूत्र में शामिल करना अनुचित होगा। संविधान निर्माता थे -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट रूप से चिंतित है कि कोई और प्रतिबंध नहीं होना चाहिए

उचित सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक से अधिक रखा गया है

कर्तव्यों का निर्वहन और अनुशासन बनाए रखना

सशस्त्र बल कर्मियों के बीच और इसलिए अनुच्छेद

33 संसद को इसके भीतर प्रतिबंध लगाने या कम करने का अधिकार दिया गया

अनुमेय सीमा तक, के भाग III के तहत प्रदत्त अधिकार

जहाँ तक सशस्त्र बल के कर्मियों का संबंध है, संविधान

चिंतित हैं। "

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने नोट किया कि मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध

अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग "कर्तव्यों के उचित निर्वहन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक होना चाहिए।

अनुशासन "। न्यायालय ने कहाः

" ..... इसलिए संसद अनुच्छेद 33 के तहत अपनी शक्ति के भीतर थी -

धारा 21 को अधिनियमित करना जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र किस हद तक

((क) अनुच्छेद 19 (1) के अधीन किसी भी व्यक्ति का, (ख) और (ग) सेना अधिनियम, 1950, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सदस्य है

सशस्त्र बल। किसके बारे में निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश

प्रतिबंधों को केंद्र द्वारा आवश्यक माना जाना चाहिए द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर सरकार

और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। द सेंट्रल सरकार को इस दिशा-निर्देश को अपने सामने रखना होगा

धारा 21 के तहत प्रतिबंध लगाने की शक्ति।

इस न्यायालय ने 1950 के अधिनियम की धारा 21 को बरकरार रखते हुए कहा कि

इस तरह की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 33 में निहित प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 33 में सांठगांठ की आवश्यकता की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम एल. डी. बालम सिंह 24 और मोहम्मद में की गई थी। यूनुस खान बनाम स्टेट ऑफ UP.25

60. 1957 के अधिनियम की धारा 9 (2) इस पर प्रतिबंध की शर्त लगाती है -

केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार सौंपकर भारतीय नौसेना में महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन

24 (2002) 9 एससीसी 73

25 (2010) 10 एस. सी. सी. 539 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस.

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों के एक भाग या उससे जुड़े विभागों, शाखाओं या निकायों में महिलाओं की नियुक्ति। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने शुरू में 9 अक्टूबर 1991 को और उसके बाद 6 नवंबर 1998 को एक अधिसूचना जारी की। उन अधिसूचनाओं में से पहली अधिसूचना तक, महिलाओं को भारतीय नौसेना में कानून और रसद संवर्ग और शिक्षा शाखा में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया था। 6 नवंबर 1998 की दूसरी अधिसूचना ने भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश के लिए अनुमेय क्षेत्रों का दायरा सभी चार शाखाओं-कार्यकारी, इंजीनियरिंग, विद्युत और शिक्षा में उनके प्रवेश को सक्षम करके बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि न तो 9 अक्टूबर 1991 की अधिसूचना और न ही 6 नवंबर 1998 में केवल एस. एस. सी. में महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों अधिसूचनाओं में कहा गया है कि महिलाएं निर्दिष्ट शाखाओं में "भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगी"। इन दोनों अधिसूचनाओं का परिणाम धारा 9 (2) में परिकल्पित प्रतिबंध को हटाना और निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं में भारतीय नौसेना में महिलाओं को अधिकारियों के रूप में शामिल करने की अनुमति देना है।

61. धारा 9 (2) के तहत जारी 9 अक्टूबर 1991 की पहली अधिसूचना के बाद, रक्षा मंत्रालय ने 20 दिसंबर 1991 को महिलाओं सहित एस. एस. सी. अधिकारियों की सेवा के नियमों और शर्तों के लिए लगातार संदर्भों के साथ दो अधिसूचनाएं जारी कीं। पहला पत्र (संदर्भ संख्या 1110 वाला) एस. एस. सी. अधिकारियों से संबंधित था।

शिक्षा शाखा। जैसा कि हमने नोट किया है, अधिसूचना का पैरा 4 विशेष रूप से

इस बात पर विचार किया गया कि पी. सी. के अनुदान के संबंध में नीति 1997 में लागू की जाएगी। दूसरा पत्र (संदर्भ संख्या 1111) कानून और रसद संवर्गों में एस. एस. सी. अधिकारियों से संबंधित था और इसमें निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, पहले के पत्र की शर्तों को अपनाया गया था। चूंकि दूसरे पत्र में पीसी के अनुदान के संबंध में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी, इसलिए पहली अधिसूचना के पैरा 4 (संदर्भ संख्या 1110) में दी गई शर्त कानून और रसद संवर्ग में शामिल एसएससी अधिकारियों पर लागू होती है।

62. इसलिए 20 दिसंबर 1991 से यह विचार के दायरे में था।

केंद्र सरकार ने कहा कि पीसी पर महिलाओं सहित एसएससी अधिकारियों को शामिल करने की नीति छह साल की अवधि के भीतर अधिसूचित की जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन अधिकारियों को एस. एस. सी. में शामिल किया गया था, उनका कार्यकाल सात साल का होगा। इसलिए 1991 में अधिसूचित अल्पकालिक सेवा अवधि की समाप्ति से पहले या उसके आसपास पीसी के अनुदान के लिए नीति को अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई थी। सात साल [2020] 10 एस. सी. आर. के कार्यकाल की शर्त।

बाद में 1998 में इसे दस साल और 2002 में चौदह साल तक बढ़ा दिया गया।

63. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि केंद्र सरकार के 25 फरवरी 1999 के नीतिगत संचार को समझना होगा। 1963 के नियमों का विनियमन 203 पीसी के अनुदान के लिए मानदंड निर्धारित करता है। पी. सी. का अनुदान निम्नलिखित के अधीन किया जाता हैः

(i) स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता;
((ii) उम्मीदवार की उपयुक्तता; और

(iii) नौसेना प्रमुख द्वारा एक सिफारिश।

64. 25 फरवरी 1999 का नीतिगत संचार अग्रिम प्रकृति का नहीं था। संचार में कहा गया था कि एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान विनियमन 203 के अनुसार होगा। इसमें एस. एस. सी. में सेवारत पुरुष और महिला दोनों अधिकारी शामिल होंगे। द. अभिव्यक्ति "स्थायी आयोग के अनुदान के लिए नीति होगी" में

विनियमन 203 के अनुसार इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि नीति अभी तक तैयार नहीं की गई थी या भविष्य की तारीख तक जब तक कोई नीति अधिसूचित नहीं की जाएगी, पीसी के अनुदान के लिए विचार करने की कोई पात्रता नहीं थी। 25 फरवरी 1999 के नीति दस्तावेज का आयात विनियमन 203 के अनुसार महिलाओं सहित सभी एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान लाना था।

65. 9 अक्टूबर 1991 से नीति के विकास का क्रम स्पष्ट रूप से एस. एस. सी. अधिकारियों की ओर से एक वैध अपेक्षा का संकेत देता है।

(पुरुष और महिला दोनों) पी. सी. के अनुदान के लिए विनियमन 203 के प्रावधानों द्वारा शासित होने पर विचार किया जा रहा है। नौसेना विनियम, जब उन्हें मूल रूप से 1963 में तैयार किया गया था, महिलाओं को शामिल करने पर विचार नहीं किया गया था। इस कारण से, विनियम 122 (2), 124 (2) और 126 (2) में कहा गया है कि केवल "अविवाहित पुरुष" ही एस. एस. सी. में शामिल होने के पात्र हैं। द.

कानून के अधीन होने के कारण विनियमों में ऐसे प्रतिबंध शामिल किए गए जो धारा 9 (2) के प्रावधानों के अनुरूप थे। हालांकि, कौन सा खंड

9 (2) परिकल्पना यह है कि भारतीय नौसेना की शाखाओं या विभागों में महिलाओं के नामांकन या नियुक्ति पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा महिला अधिकारियों के प्रवेश को मंजूरी देने वाली अधिसूचना जारी होने पर हटा दिया जाएगा, बशर्ते कि कुछ शर्तों को ध्यान में रखा जाए। 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की अधिसूचनाओं दोनों में, केंद्र सरकार ने निर्धारित शाखाओं में भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देकर धारा 9 (2) के तहत अपनी सक्षम शक्ति का प्रयोग करते हुए वैधानिक प्रतिबंध को हटा दिया।

एक बार भारत और ओ. आर. एस. का वैधानिक संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

एस. एस. सी. अधिकारियों की नियुक्ति, पीसी पर पुरुषों और महिलाओं दोनों की नियुक्ति विनियमन 203 के प्रावधानों द्वारा समान रूप से नियंत्रित की जाएगी। यह 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया था जो कानूनी व्यवस्था के अनुपालन में जारी किया गया था। एस. एस. सी. पुरुष और महिला अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान विनियमन 203 के प्रावधानों के साथ संरेखित है जो स्पष्ट रूप से कानून का विषय है। इस प्रकार, श्री संजय जैन द्वारा आग्रह किया गया तर्क, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को पता चला कि 25 फरवरी 1999 का संचार केवल अग्रिम प्रकृति का था और पीसी के अनुदान के लिए विचार की जाने वाली पात्रता को आगे की नीति की प्रतीक्षा करनी होगी, जो 26 सितंबर 2008 को अस्तित्व में आई थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 25 तारीख का संचार रक्षा मंत्रालय की फरवरी 1999 की मंजूरी राष्ट्रपति की थी और परिणामस्वरूप इन कार्यवाहियों में भारत संघ द्वारा आग्रह किए गए तर्कों में सुझाए गए सुझावों की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

66. उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, प्रिया खुराना के मामले में, जो 2002 बैच की महिला अधिकारियों से संबंधित है, आवेदन आमंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था

ए. टी. सी. और लॉजिस्टिक्स कैडरों और शिक्षा शाखा में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में शामिल होने के लिए पुरुषों और महिलाओं से। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है

कि उनके प्रदर्शन और सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर, योग्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए भी माना जा सकता है। 2003-4 में जारी किए गए बाद के रोजगार नोटिसों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जुलाई 2002 का रोजगार नोटिस इसके विपरीत नहीं था।

विनियम 203 में निहित प्रावधान। विनियमन 203 में "समय-समय पर" वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. अनुदान निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए खुला था।

रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्त रूप से और नौसेना प्रमुख की सिफारिश के आधार पर। इसलिए, जुलाई 2002 में, जब नौसेना निर्धारित शाखाओं में एस. एस. सी. के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, इसने एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व दिया कि पी. सी. के अनुदान के लिए योग्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

67. 26 सितंबर 2008 के रक्षा मंत्रालय के नीतिगत निर्णय ने सेना, नौसेना और वायु सेना में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान को नियंत्रित किया। संचार, यह निर्धारित करते हुए कि यह एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को "शामिल करने के लिए" लागू होगा, कथित रूप से सेवा में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान के लिए विचार करने से बाहर करने के लिए है। इसने उन कैडरों/शाखाओं को प्रतिबंधित करने की भी मांग की, जिनमें महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. दिए जा सकते हैं। ए. एफ. टी. ने [2020] 10 एस. सी. आर. बुलाए जाने के बाद नोट किया है।

फाइल में कहा गया है कि 25 फरवरी 1999 के पहले के नीतिगत निर्णय को निर्णय लेने वाले अधिकारियों के समक्ष नहीं रखा गया था। ए. एफ. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि जबकि सरकार द्वारा बनाई गई नीति परिवर्तन या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, सरकार द्वारा निर्णय लेना निम्नलिखित मानदंडों के अधीन है -

तर्कसंगतता और सत्ता का गैर-मनमाना प्रयोग। ए. एफ. टी. ने कहाः

" ..... उक्त अभिलेख से पता चलता है कि सी. ओ. एस. सी. के अध्यक्ष ने कभी यह सिफारिश नहीं की कि नीति उन व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए जिनके पास है

बाद में भर्ती किया गया और सेवा में एस. एस. सी. के लिए आवेदन नहीं करेगा

अधिकारीगण।

नीति-निर्णय दिनांक 26 सितंबर 2008 से संबंधित उपरोक्त रिकॉर्ड 25 फरवरी 1999 के मौजूदा नीति-निर्णय पर विचार करने का खुलासा नहीं करता है। जैसा कि उपरोक्त अभिलेख से प्रतीत होता है, इस बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया कि एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान से संबंधित मौजूदा नीति, लिंग की परवाह किए बिना, साथ ही शाखाओं/संवर्गों को संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। उक्त अभिलेख से पता चलता है कि रक्षा मंत्री भी 25 फरवरी 1999 के मौजूदा नीति-निर्णय के बारे में अंधेरे में रखा गया था। यद्यपि प्रत्यर्थी-अधिकारी अपनी पूर्व नीति को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, परिवर्तन का कारण इस तरह के परिवर्तन से संबंधित रिकॉर्ड पर परिलक्षित होना चाहिए, इसलिए वर्तमान नीति पर विचार के साथ-साथ विचार-विमर्श भी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में अनुपस्थित हैं।

स्पष्ट रूप से, ए. एफ. टी. के विचार में, 26 सितंबर 2008 को लिया गया निर्णय पहले के निर्णय से सचेत रूप से अलग नहीं था।

25 फरवरी 1999 की नीति। यह इस सरल कारण से एक सचेत प्रस्थान नहीं हो सकता था कि पहले की नीति का मूल्यांकन नहीं किया गया था और न ही इससे अलग होने को सही ठहराने के लिए कोई आधार तैयार किया गया था।

हमें इस स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि ए. एफ. टी. के उपरोक्त निष्कर्षों का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन द्वारा भारत संघ की ओर से कोई निवेदन नहीं किया गया है। काफी अलग से हालाँकि, एक और अधिक मौलिक कारण है कि नौसेना के संबंध में 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र की अयोग्यता के संबंध में एक निष्कर्ष एक निश्चित आधार पर निर्भर करता है। 1963 के विनियमों में एस. एस. सी. अनुदान और पी. सी. अनुदान के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं। जैसा कि हमने नोट किया है, विनियम 122,124 और 126 एस. एस. सी. के अनुदान को नियंत्रित करते हैं, जबकि विनियम 203 पी. सी. के अनुदान को नियंत्रित करता है। विनियमन 203, अपनी शर्तों में, केवल भारत और ओ. आर. एस. के पुरुष संघ तक ही सीमित नहीं है।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अधिकारी। एक बार भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति 9 अक्टूबर की वैधानिक अधिसूचनाओं के अनुसार दी गई थी

1991 और 6 नवंबर 1998 को, धारा 9 (2) के तहत वैधानिक प्रतिबंध हटा दिया गया और एस. एस. सी. में शामिल महिला अधिकारी होने की हकदार होंगी। विनियमन 203 द्वारा शासित। इसलिए, 26 सितंबर 2008 का नीतिगत पत्र इस हद तक कि यह पीसी के अनुदान को निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं के साथ-साथ केवल महिला अधिकारियों को "शामिल करने" के लिए प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की अधिसूचनाओं के विपरीत है और इसे लागू नहीं किया जाएगा। 26 सितंबर 2008 का नीति पत्र 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की वैधानिक अधिसूचनाओं के स्थान पर नहीं था। उच्चतम स्तर पर इसे वैधानिक अधिसूचनाओं को लागू करने के लिए एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, इसे चरित्र में संभावित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके विपरीत कोई अन्य दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 9 (2) का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था, वह अपनी तार्किक स्थिरता में निर्विवाद है और 1957 के अधिनियम, 1963 के विनियमों और 9 अक्टूबर 1991,6 नवंबर 1998 और 25 फरवरी 1999 को जारी अधिसूचनाओं द्वारा परिकल्पित कानूनी व्यवस्था के अनुरूप है।

एफ रूढ़िवादी नाविक

68. लैंगिक समानता के लिए लड़ाई मन की लड़ाई का सामना करने के बारे में है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ महिलाओं को देखा गया है।

कानून के तहत उनके न्यायसंगत अधिकारों और कार्यस्थल में निष्पक्ष और समान व्यवहार के अधिकार से इनकार किया। सशस्त्र बलों के संदर्भ में, निर्णय निर्माताओं और प्रशासकों द्वारा विशिष्ट कारणों को आगे बढ़ाया गया है। वे शरीर विज्ञान, मातृत्व और शारीरिक विशेषताओं से लेकर पुरुष प्रधान पदानुक्रम तक हैं। एक सौ एक बहाने गरिमा के संवैधानिक अधिकार का कोई जवाब नहीं हैं, जो हर किसी से जुड़ा हुआ है।

व्यक्ति चाहे वह किसी भी लिंग का हो, काम की निष्पक्ष और समान स्थितियों के लिए और एक समान अवसर के लिए। एक समान खेल का मैदान यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को भेदभाव के अपने इतिहास को दूर करने का अवसर मिले।

उनकी क्षमता, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर निश्चित प्रतिक्रियाएँ। 69. बबीता पुनिया के मामले में वर्तमान पीठ द्वारा इस न्यायालय के निर्णय में, इस न्यायालय ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के लिए मानसिकता को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बबीता पुनिया में, इस न्यायालय ने केंद्र सरकार की इन दलीलों पर विचार किया कि महिलाएं भारतीय सेना में कमान की भूमिका निभाने के लिए अनुपयुक्त हैं।

यह आग्रह किया गया था कि अधिकारी महिलाओं से आदेश लेने के खिलाफ होंगे। महिलाओं, इस न्यायालय को सूचित किया गया था कि वे वैवाहिक दायित्वों और मातृत्व और बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारियों का अनुचित बोझ साझा करते हैं। महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित इन तर्कों का उपयोग पुरुषों और महिला अधिकारियों के साथ असमान व्यवहार को सही ठहराने के लिए किया गया था।

70. ये दलीलें जो गहरी रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित हैं, इस न्यायालय द्वारा जोरदार शब्दों में खारिज कर दी गईं:

" इस न्यायालय को सौंपे गए नोट में दिए गए प्रस्तुतिकरण लिंग की सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं के बारे में धारणाओं पर आधारित लिंग रूढ़िवादिता पर आधारित हैं जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं।

गर्भावस्था, मातृत्व और अपने बच्चों और परिवारों के प्रति घरेलू दायित्वों के दौरान अनुपस्थिति एक मजबूत रूढ़िवादिता है जो यह मानता है कि घरेलू दायित्व केवल महिलाओं पर निर्भर करते हैं। "पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर्निहित शारीरिक अंतर" पर निर्भरता एक गहरी रूढ़िवादी और रूढ़िवादी स्थिति में टिकी हुई है।

संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण धारणा है कि महिलाएं "कमजोर" लिंग हैं और वे ऐसे कार्य नहीं कर सकती हैं जो उनके लिए "बहुत कठिन" हैं। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक ताकत और कमजोरियों और विवाह और परिवार के सामाजिक संदर्भ में महिलाओं के बारे में धारणाओं पर आधारित तर्क महिला अधिकारियों को समान अवसर से वंचित करने के लिए संवैधानिक रूप से वैध आधार नहीं हैं। समर्पण की इस तरह की रेखा परेशान करने वाली है क्योंकि यह उन गंभीर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करती है जिन्हें राष्ट्र की प्रत्येक संस्था बनाए रखने और सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य है। लिंग के आधार पर उनकी क्षमताओं पर संदेह करना न केवल महिलाओं के रूप में उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि भारतीय सेना के सदस्यों की गरिमा का भी अपमान है-पुरुष और महिलाएँ जो एक सामान्य मिशन में समान नागरिक के रूप में काम करते हैं।

71. महिला एस. एस. सी. से संबंधित बबीता पुनिया मामले में भारत संघ की ओर से इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किए गए थे भारतीय नौसेना में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों से संबंधित वर्तमान अपीलों में सेना के अधिकारियों को एक प्रतिध्वनि मिली है। मूल रूप से, इन कार्यवाही में दायर लिखित प्रस्तुतियों में ('अपीलार्थियों की ओर से संक्षिप्त टिप्पणी'), यह आग्रह किया गया था कि भारतीय नौसेना में नौकायन महिलाओं के लिए एक उचित व्यवसाय नहीं है। लिखित प्रस्तुतियों में निम्नलिखित कथन शामिल हैं:

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

" इसके लिए एक मजबूत समकालीन तर्क भी है

भारतीय नौसेना में महिलाओं को नाविक मानते हुए आज के जहाजों को न तो संरचित किया गया है और न ही उनके लिए बुनियादी ढांचा है।

पुरुष नाविकों के साथ महिला नाविकों को समायोजित करें। एक आम बैरक और एक आम बाथरूम है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्योंकि वे रूसी मॉडल पर बनाए गए हैं जहां महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नाविकों की तरह। नौसेना इस तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का प्रयास कर रही है। यह स्पष्ट है कि महिलाओं को समुद्र में जाने वाले कर्तव्यों से दूर रखा जाता है।

विशुद्ध रूप से संचालन के आधार पर और लिंग के आधार पर नहीं

भेदभाव "।

72. अभिलेख पर रखे गए प्रस्तुतियों के संशोधित नोट में, उपरोक्त अनुच्छेद का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, वही प्रस्तुतियाँ, हालांकि लिखित नोट में अनुपस्थित हैं, जिसे बाद में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, पर जोर दिया गया है विद्वान ए. एस. जी. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष की गई प्रस्तुतियों में सबसे आगे। निवेदन यह था कि:

समुद्री-नौकायन कर्तव्यों जैसे कुछ रास्ते इसके लिए अनुपयुक्त हैं -

((i)

महिला अधिकारी के रूप में आधार पर कोई वापसी नहीं है, इसके विपरीत

सेना और वायु सेना; और

रूसी मूल के जहाजों में जो द्वारा तैनात किए जाते हैं

((ख)

भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए नाविकों के रूप में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उन्हें समायोजित करने के लिए कोई स्नानघर नहीं हैं।

73. उपरोक्त कारण भ्रामक और बिना किसी आधार के हैं। महिला अधिकारियों ने अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है

सेवा के हर क्षेत्र में समकक्ष। समुद्र या रूसी जहाजों पर कर्तव्यों के आधार पर कथित स्पष्टीकरण एक ऐसी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अपनाए गए उपकरण हैं जो कर्तव्यों के उचित निर्वहन और सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच अनुशासन के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है। एएसजी द्वारा की गई ये दलीलें स्पष्ट रूप से इसके विपरीत हैं -

रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना प्रमुख को 25 फरवरी 1999 को जारी किया गया नीति पत्र। नीति पत्र में जोर देकर कहा गया है कि सभी शाखाओं/संवर्गों की महिला अधिकारियों को जहाज पर सेवा करने का निर्देश दिया जा सकता है

प्रशिक्षण के दौरान और सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार बाद के रोजगार दोनों। इस संवाद के बावजूद, इस दलील को स्वीकार करना असंभव है कि महिलाएं पुरुषों के साथ नौकायन नहीं कर सकतीं।

नाविक।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74. 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र के अलावा,

यह तर्क कि समुद्र में जाने वाले कुछ कर्तव्य महिला अधिकारियों के लिए अनुपयुक्त हैं, लिंग रूढ़िवादिता पर आधारित है कि पुरुष अधिकारी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कुछ कर्तव्यों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने बबीता पुनिया में उल्लेख किया है, पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक ताकत और कमजोरियों पर आधारित तर्क महिला अधिकारियों को समान अवसर से वंचित करने के लिए संवैधानिक रूप से वैध आधार नहीं हैं। ए. एस. जी. द्वारा आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार करना सामाजिक रूप से निर्धारित लैंगिक भूमिकाओं को मंजूरी देना होगा जो प्रत्येक के समान मूल्य और गरिमा के लिए प्रतिबद्धता है।

व्यक्तिगत विश्वास।

75. दस्तावेजों के संकलन में जो एक हिस्सा है

अभिलेख, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को दिए गए सम्मानों के दस्तावेजी प्रमाण हैं। 1993 में, कमांडर रूबी सिंह गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भारतीय नौसेना की टुकड़ी में एक पलटन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। आई. एन. एस. वी. तारिणी, जिसने दुनिया की परिक्रमा की, उसमें सभी महिला चालक दल शामिल थीं। सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनीं। भारतीय नौसेना की कुछ महिला अधिकारियों की उपलब्धियों को एक सारणीबद्ध चार्ट के रूप में निर्धारित किया गया है जिस पर हम विचार करते हैं

निकालने के लिए आवश्यकः

1 लेफ्टिनेंट संध्या सूरी

युद्धपोत आई. एन. एस. ज्योति रीना पर सेवा की

आई. एन. एस. सुजाता (2002);

2

कमांडर

मैग्डलीन

उन्होंने नौसेना प्रमुख का स्वागत

किया
प्रशंसा और सम्मानित किया गया

आई. एन. एस. वलसुरा में सर्वश्रेष्ठ

प्रशिक्षक का पुरस्कार

(1998)

3

कमांडर सुहास पाटनकर

सी. आई. एन. सी. प्रशंसा भी प्राप्त हुई
सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पुरस्कार (आई. एन. एस.)

शिवाजी)

अनुराधा। नौसेना प्रमुख का स्वागत किया गया

4

कमांडर

कांची और कमांडर

प्रशंसा।

बबीता रावत

शिवानी,

नौसेना के उप-प्रमुख का स्वागत किया

5

कमांडरों

प्रशंसा।

राजेश्वरी कोरी और भावना सलारिया

नौसेना अधिकारी अनुराधा चौहान, अनुपमा चौहान, पवन प्रीत मान,

शिल्पा, प्रभा लाल, सावित्री पंवार, पुष्पा पांडे और रूपाली रोहतगी।

सभी ने सी. आई. एन. सी. प्रशंसा से सम्मानित किया।

76. कार्यस्थल पर प्रदर्शन और राष्ट्र के प्रति समर्पण प्रचलित लैंगिक रूढ़िवादिताओं के लिए निश्चित उत्तर हैं। वंचित करने के लिए

भारत और ओ. आर. एस. के पुरुष संघ के साथ समान रूप से काम करने के अवसर वाली महिला अधिकारियों की सेवा करना।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

भारतीय नौसेना में पीसी पर स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। इसके अलावा, यह तर्क देना कि महिला अधिकारी कुछ व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त हैं, जिसमें उनका जहाज पर होना शामिल है, उन महिला अधिकारियों के समान मूल्य के विपरीत है जो राष्ट्र के लिए सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं।

जी पूर्व तुर्पी कारण गैर-मौखिक कार्य

77. दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. अलग-अलग मामलों में दी गई राहत की प्रकृति पर अलग-अलग हैं।

बबीता पुनिया में इस न्यायालय के निर्णय के अधीन छह सप्ताह के भीतर उनकी बहाली। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ये याचिकाकर्ता किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। 78. ए. एफ. टी. ने पी. सी. अनुदान के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश से असहमति जताई और अधिकारियों को पी. सी. अनुदान के लिए एस. एस. सी. अधिकारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया। ए. एफ. टी. का विचार था कि चूंकि इसके पास आवश्यक विशेषज्ञता और आवश्यक सामग्री नहीं है

यह निर्धारित करते हुए कि क्या पीसी दिए जाने चाहिए, इस तरह का निर्णय संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, ए. एफ. टी. ने निर्देश दिया कि जब तक इस तरह का विचार नहीं किया जाता और कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उससे पहले के आवेदकों को मौजूदा शर्तों पर एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

और उनके लिए लागू होने वाली शर्तें। ए. एफ. टी. द्वारा जारी अंतिम निर्देश भी इस न्यायालय के समक्ष एस. एस. सी. अधिकारियों द्वारा अपील का विषय है। उनके अनुसार, पीसी के अनुदान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी व्यापक निर्देश को एएफटी द्वारा अपनाया जाना चाहिए था और विचार के लिए केवल निर्देश से अधिकारियों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। 79. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य होगा कि भारत संघ द्वारा दायर अपील के लंबित रहने के दौरान

एनी नागराजा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, एक अंतरिम [2020] 10 एस. सी. आर.

इस न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2015 को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा (i) उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से जो 26 सितंबर 2008 को नौसेना में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में कार्यरत थे, उन्हें लागू नियमों और शर्तों पर जारी रहने की अनुमति दी गई थी; और (ii) जिन्हें एस. एस. सी. कार्यकाल पूरा होने पर 26 सितंबर 2008 के बाद सेवा से रिहा कर दिया गया था, उन्हें इसमें फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

क्षमता और सेवा में बने रहना। 80. इस आदेश द्वारा, सुरक्षा केवल उन अधिकारियों तक सीमित थी जो इस न्यायालय के समक्ष 26 सितंबर 2008 को सेवा में थे। उत्तरदाता

2 से 6 को 13 जुलाई 1992 और 12 अगस्त 1994 के बीच एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में भारतीय नौसेना के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था।

नौसेना में महिला अधिकारियों का पहला बैच। उन्हें 12 जुलाई 2006 और 11 अगस्त 2008-26 के बीच सेवा से रिहा कर दिया गया था। इन अधिकारियों को 26 सितंबर 2008 को नीति पत्र जारी होने से पहले रिहा कर दिया गया था। नतीजतन, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं दिया गया।

81. इन अधिकारियों का मामला यह है कि 1963 के विनियमों के साथ-साथ 25 फरवरी 1999 का नीति पत्र तब मौजूद था जब वे राज्य में थे।

सेवा जो उन्हें पीसी के अनुदान के लिए विचार करने का अधिकार देती है। सेवा से उनकी रिहाई से पहले, उन्होंने संबंधित प्राधिकरण को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें पीसी के अनुदान के लिए विचार किया जाए। यह आग्रह किया गया था कि आवेदनों को उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा पीसी के अनुदान की सिफारिश करते हुए अग्रेषित किया गया था जो भारतीय नौसेना में पीसी अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए उनकी क्षमताओं, योग्यता और काम को दर्शाता है। इन अधिकारियों की शिकायत है कि उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया और नौसेना 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र के बारे में चुप रही, जो उनके अनुसार, बहुत बाद में सामने आया था। 82. यह आग्रह किया गया कि वायु सेना बबीता पुनिया में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करे और महिला अधिकारियों को बहाल करे जो

सेवानिवृत्त हो चुके थे। आग्रह किया गया कि सेना को भी इसी तरह के कदम उठाने चाहिए थे। हालाँकि, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को बहाल नहीं किया गया और उन्होंने एक आवेदन दायर किया है

26 रिहाई की तारीख हैं-कमांडर आर प्रसन्ना (आर 2-12 जुलाई 2006), कमांडर पूजा छाबड़ा (आर 3-31 जुलाई 2006, कमांडर सरोज कुमारी (आर 4-8 अगस्त 2007),

कमांडर सुमिता बलूनी (आर 5-8 अगस्त 2008) और कमांडर ई प्रसन्ना (11 अगस्त 2008)।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आदेश 27 में संशोधन की मांग करना। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 ने आग्रह किया कि वे 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र को देखते हुए पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। उनका दावा है कि वे नौसेना के आचरण और इस न्यायालय के अंतरिम आदेश से गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त थे। एक्टस क्यूरी निमेनेम ग्रेवबेट का सिद्धांत-एक कार्य

अदालत को किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए-इस निवेदन की सहायता के लिए दबाव डाला गया है। हालाँकि ये उत्तरदाता बारह से चौदह वर्षों के बीच सेवा से बाहर रहे हैं, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया है कि उनके विभागों में काम ऐसी प्रकृति का है कि सेवा से बाहर होना उनके बहाल होने के रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके समर्थन में, यह आग्रह किया गया कि छह महीने के प्रशिक्षण के साथ नए व्यक्तियों को शामिल किया जाए। नतीजतन, यह आग्रह किया गया कि जिन अधिकारियों ने चौदह साल तक सेवा की है, उनकी सेवा में बहाली के लिए आदेश पारित करने में इस न्यायालय के रास्ते में कोई कठिनाई नहीं है।

83. प्रिया खुराना के मामले में ए. एफ. टी. के फैसले से उत्पन्न अपीलों में, इस अदालत द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें अगले आदेश तक एस. एस. सी. महिला अधिकारियों की सेवा जारी रखने का निर्देश दिया गया था। प्रिया खुराना के मामले में ए. एफ. टी. के फैसले पर इस अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई थी। निर्णय के संदर्भ में, नौसेना को 25 फरवरी 1999 की नीति के साथ पठित विनियमन 203 के संदर्भ में प्रत्येक अधिकारी के मामले पर विचार करने की आवश्यकता थी। नौसेना द्वारा 2016 से ए. एफ. टी. के फैसले को लागू नहीं करने के परिणामस्वरूप, एक व्यापक प्रभाव पड़ा है और लगभग तीस अधिकारियों (इस अदालत को सुनवाई के दौरान सूचित किया गया था) ने ए. एफ. टी. के समक्ष मामले दायर किए हैं, जिसका परिणाम इन अपीलों में इस अदालत के फैसले पर निर्भर करता है।

84. विद्वान वकील श्री संतोष कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय ए. एफ. टी. के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है और 'मात्र' का निर्देश देता है पी. सी. के अनुदान के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने पर, एक तीखी स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि इस तरह का कोई भी विचार व्यर्थ हो जाएगा।

कम से कम एक संवर्ग के संबंध में, अर्थात् लॉजिस्टिक्स। नौसेना द्वारा मध्यावधि में पालन की जाने वाली स्टाफिंग प्रथाओं के परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स कैडर को संतृप्त या अतिजनित कहा जाता है। इसके अलावा, दो लेफ्टिनेंट कमांडरों (लेफ्टिनेंट कमांडर कबेरी कस्तूरी और लेफ्टिनेंट कमांडर विजेता यादव) को इस आधार पर सेवा से रिहा करने का आदेश दिया गया कि कैडर संतृप्त है। जिस निवेदन का आग्रह किया गया है वह यह है कि कैडर के संतृप्त होने के इस बहाने में प्रणालीगत लिंग भेदभाव की न्यायिक समीक्षा को रोकने के लिए सुधार किया गया है।

नौसेना की संवर्धन और प्रतिधारण प्रथाएँ। यह चाहा जाता है

निम्नलिखित प्रस्तुतियों से प्रभावितः

((i)

महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को सेवा से वंचित किया जा रहा है।

उनके एस. एस. सी. कार्यकाल में विस्तार या पी. सी. का अनुदान इस आधार पर कि लॉजिस्टिक्स कैडर 'ओवरबोर्न' है, नौसेना है

एक ही संवर्ग में नए हाथों की भर्ती;

लॉजिस्टिक्स कैडर में लगभग 160 पुरुषों की भर्ती की गई थी।

((ख)

पिछले दस वर्षों में सीधे पीसी पर, जिनमें से पिछले पांच वर्षों में 25 से 30 अधिकारियों की भर्ती की गई थी

वर्षों से;

(iii)

नौसेना ने यह दावा करते हुए इस भर्ती का बचाव किया है कि नई भर्तियां "बल के युवा प्रोफाइल को बनाए रखती हैं"। इस विवाद का इस तथ्य से मिलान नहीं किया जा सकता है कि नौसेना रसद संवर्ग में कमांडरों के स्तर पर सेवानिवृत्त पुरुष अधिकारियों (52 वर्ष और उससे अधिक आयु के) को पुनः रोजगार की पेशकश कर रही है।

कर्मचारियों की कमी;

(iv) ऐसे विशेष कर्तव्य अधिकारियों की पुनः नियुक्ति की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब संबंधित संवर्ग में कर्मियों की कमी हो, जो 24 जून 2013 के एक नीति पत्र से स्पष्ट है।

हालांकि, विशेष के लिए कोई अलग लॉजिस्टिक्स कैडर नहीं है

(v)

ड्यूटी अधिकारी, फिर भी, पुरुष अधिकारियों के लिए सेवा में बने रहने के लिए एक अनौपचारिक कोटा बनाया गया है, इसके बाद भी

सेवानिवृत्ति;

(vi) चूंकि विशेष कर्तव्य अधिकारी रैंकों से ऊपर उठे हैं, वे रसद संवर्ग के भीतर केवल कुछ ही बिलों को किराए पर ले सकते हैं। इसके विपरीत, रसद संवर्ग में महिला अधिकारी कर सकती हैं

यदि आवश्यक हो तो उन बिलेट्स के साथ-साथ अन्य को भी किराए पर लें। उन्हें अधिकारियों के रूप में समान रूप से प्रशिक्षित किया गया है और उन्होंने रोजगार के दौरान विभिन्न योग्यता परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। फिर भी विडंबना यह है कि महिला अधिकारियों को इसके परिणामस्वरूप बाहर निकलने की आवश्यकता होती है

'कैडर संतृप्ति';

(vii) नौसेना को सभी सेवारत लोगों पर विचार करने की आवश्यकता होने के बावजूद

पीसी के अनुदान के लिए महिला एसएससी कर्मी, किसी भी बैच से लॉजिस्टिक्स कैडर में एक भी एसएससी महिला अधिकारी नहीं
आज तक भारत और ओ. आर. एस. के संघ पर विचार किया गया है।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(viii) यदि नौसेना ने प्रत्येक के अनुप्रयोग पर विचार किया था

रसद अधिकारी को अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी संवर्ग में संतृप्ति की संगठनात्मक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। फिर भी, नौसेना ने इस बात पर जोर देना जारी रखा कि यह केवल 26 सितंबर 2008 का नीतिगत पत्र है जो पीसी के अनुदान के लिए सभी मामलों को नियंत्रित करेगा, हालांकि इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ एएफटी दोनों द्वारा खारिज कर दिया गया था।

दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एसएससी महिला अधिकारी

लॉजिस्टिक्स कैडर से अदालतों में अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है और अब इस दलील का सामना करना पड़ रहा है कि कैडर ओवरबोर्न है। यह आग्रह किया जाता है कि यह न्याय का उपहास है।

85. इस न्यायालय के समक्ष एक पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए

इन मामलों में निर्णय के प्रभाव, मामलों की स्थिति को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

एनी नागराजा के मामले में सत्रह अधिकारी शामिल हैं। से

((i)

2002-03 बैच (प्रिया खुराना का मामला), इस अदालत के समक्ष सात अधिकारी हैं जिन्होंने सुरक्षा हासिल की है

रिहाई के खिलाफ। इस न्यायालय के समक्ष कुल मिलाकर, दस सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित 21 सेवारत अधिकारी हैं (कुछ पुरुषों सहित) जो राहत की मांग कर रहे हैं;

एनी नागराजा के मामले में सेवारत अधिकारियों में से अधिकांश

((ख)

बीस वर्षों से अधिक समय तक सेवाएँ दी हैं। प्रिया खुराना के मामले में अधिकारियों ने अब तक अठारह वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान की है; और

(iii) लगभग तीस अधिकारी पहले से लंबित मुकदमेबाजी में शामिल हैं।

प्रिया खुराना के मामले में अधिकारियों के बाद के बैचों से ए. एफ. टी. उनमें से कुछ अधिकारी स्थानांतरित कर रहे हैं

गैर के संबंध में अपनी शिकायत को उत्तेजित करने वाली अदालतें पी. सी. अनुदान के लिए उनकी पात्रता पर विचार करना।

इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय उन लोगों को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है जो थे

बबीता पुनिया के मामले में पैराग्राफ 69 के उप-पैराग्राफ (ए), (बी), (सी), (डी) और (एफ) में इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। यह आग्रह किया गया है कि यह उचित होगा।

चूंकि 26 सितंबर 2008 का वही नीति पत्र बबीता पुनिया मामले में इस अदालत के फैसले का विषय था।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

86. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए श्री संजय जैन ने कहा है कि

रिकॉर्ड तीन चार्ट पर। पहला चार्ट भारतीय नौसेना में कैडर की ताकत को दर्शाता है:

भारतीय नौसेना में कैडर की ताकत

संवर्ग /

कुल मंजूरी

अधिकारीगण

संवर्ग

डी को स्थिर करें

अधिकारीगण

तापमान

संवर्ग (ए)

प्रतिबंध

अदालत

शाखा

(a) + (b)

सेवा में

स्थिति

आदेश दें

(ख)

31

574

लॉजिस्टिक्स

42

527

485

+57

345

31

शिक्षा

माइनस

03

5

348

343

387

399

नौसेना

279

108

+11

11

निर्माता

88

110

04

+22

88

0

एटीसी

87. दूसरा चार्ट प्रेरणों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

और पिछले तीन वर्षों में सेवानिवृत्तिः

सेवानिवृत्ति

प्रविष्टियाँ

वर्ष

2017

20 (13 पीसी + 07 एसएससी)

15

2018

12

24 (08 पीसी + 16 एसएससी)

27 (05 पीसी + 22 एसएससी)

2019

26

कुल

71

53

88. तीसरा चार्ट पुनः रोजगार की स्थिति से संबंधित है।

स्पेशल ड्यूटी कमीशन अधिकारी। इन अधिकारियों को भारतीय नौसेना में अन्य रैंकों (नाविकों) से पदोन्नत किया गया है। स्वीकृत संख्या के मुकाबले कमी के कारण उन्हें सेवा में पुनः रोजगार दिया जा रहा है। यह

प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृत संख्या अन्य रसद अधिकारियों के साथ विनिमेय नहीं है। तीसरा चार्ट है नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

पकड़ में रखी

ताकत

संवर्ग

सरकार. प्रतिबंध

एस. डी. (स्टोर)

27

28

एस. डी. (लेखक)

44

38

89. भारत संघ की रक्षा पर विचार करते हुए, द्वारा आग्रह किया गया

ए. एस. जी. ने कहा कि कैडर "अत्यधिक" और "संतृप्त" हैं, इस न्यायालय का आकलन निम्नलिखित स्थिति पर आधारित होना चाहिएः

((i)

न तो दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला और न ही

ए. एफ. टी. के फैसले पर लंबित रहने के दौरान रोक लगा दी गई थी

ये अपीलें। केंद्र सरकार और भारत और ओआरएस की नौसेना।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराज डी. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अधिकारी इस गलत धारणा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते थे कि वर्तमान अपीलों का केवल लंबित होना उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों में निहित निर्देशों का पालन नहीं करने का लाइसेंस था। पी. सी. के अनुदान के लिए एस. एस. सी. अधिकारियों पर विचार करने में अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप, उनकी स्थिति अनिश्चितता की स्थिति में बनी रही, जिससे वे न केवल उन लाभों से वंचित हो गए जो उन्हें कैरियर की उन्नति के मामले में प्राप्त होंगे, बल्कि उत्तरोत्तर कब्जा करने की क्षमता से भी वंचित हो गए।

जबकि केंद्र सरकार और नौसेना अधिकारियों ने पीसी के अनुदान के लिए किसी भी एसएससी महिला अधिकारी पर विचार नहीं किया, अब यह दावा किया गया है कि कैडर संतृप्त है। यह स्थिति दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्देशों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप हुई है, जबकि एक ही समय में भर्तियां करना जारी है जो अब कैडरों के संतृप्त होने के लिए एक आधार के रूप में रखी गई है। पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार 25 फरवरी 1999 की नीति के तहत उत्पन्न हुआ। 26 सितंबर 2008 का नीति पत्र पहले के नीति दस्तावेज से बेखबर जारी किया गया था और इसका प्रभाव एस. एस. सी. अधिकारियों को लाभ देने से इनकार करने के अलावा उन कैडरों/शाखाओं को प्रतिबंधित करने का भी था जिनमें एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. दिया जा सकता था।

हालाँकि 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र को उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. द्वारा अमान्य घोषित किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति पर भरोसा किया है। रिक्तियों या एस. एस. सी. अधिकारियों को राहत देने से इनकार करने के लिए 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र का संभावित आवेदन;

और

यदि नौसेना अधिकारियों ने 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र के संदर्भ में पी. सी. के अनुदान के लिए एस. एस. सी. अधिकारियों पर विचार किया होता, तो यह स्थिति समाप्त हो जाती।

कैडरों की संतृप्ति जिसके साथ एस. एस. सी. अधिकारी उन्हें राहत से वंचित करने के लिए एक आधार के रूप में सामना करने की मांग की गई, जिसके लिए वे नीति के संदर्भ में वैध रूप से हकदार थे

दिनांक 25 फरवरी 1999;

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि एस. एस. सी. अधिकारियों की ओर से आग्रह किया गया है कि [2020] 10 एस. सी. आर.

वर्तमान स्थिति नौसेना अधिकारियों की कार्रवाइयों के एक स्पष्ट परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई हैः

(i) 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 की धारा 9 (2) के तहत वैधानिक अधिसूचनाओं को लागू करने में विफलता;

((ii) 25 फरवरी के नीति पत्र का पालन करने में विफलता।

1999 ; और

(iii) दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के फैसलों को लागू करने के दायित्व का उल्लंघन, जिन पर रोक नहीं लगाई गई थी और जिसके परिणामस्वरूप एस. एस. सी. के लिए गतिरोध पैदा हुआ है।

महिला अधिकारी।

91. एक बार केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय था

25 फरवरी 1999 को सूचित किया गया कि अधिकारी विनियमन 203 के संदर्भ में पीसी के अनुदान के लिए एसएससी अधिकारियों के दावों पर विचार करने के लिए बाध्य थे। नौसेना अधिकारी और केंद्र सरकार ऐसा करने में विफल रहे, जिससे उन्हें पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने वाले अधिकार से वंचित कर दिया गया। 25 फरवरी 1999 के नीतिगत संचार के संदर्भ में एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. के लिए विचार करने में अधिकारियों की विफलता के कारण, एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. और पदोन्नति और पेंशन योग्य सेवा सहित पी. सी. के अनुदान से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों और लाभों को प्रदान करने का अवसर खो गया। जो स्थिति सामने आई है, वह वैधानिकता को लागू करने में अधिकारियों की विफलता के कारण है

25 फरवरी 1999 की नीति विवरण की धारा 9 (2) के तहत जारी अधिसूचनाएँ जिसके द्वारा वे बाध्य थे और दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों के रूप में। इन एस. एस. सी. अधिकारियों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है और सेवा के खोए हुए वर्षों और सेवानिवृत्त अधिकारों से वंचित होने से उनके साथ हुए अन्याय को ठीक किया जाना चाहिए। यह अन्याय अधिकारियों द्वारा कानून के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसा कि ऊपर बताया गया है। एस. एस. सी. अधिकारियों को पर्याप्त राहत देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां बाध्यकारी कानूनी मानदंडों का पालन करने के लिए अधिकारियों की ओर से कर्तव्य का उल्लंघन बिना किसी ध्यान के किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए न्याय की गंभीर विफलता होगी जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है और कानून में अस्थिर हैं।

92. एनी नागराजा के मामले में दूसरे से छठे प्रतिवादी

26 सितंबर 2008 को नीति पत्र जारी होने से पहले चौदह साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। इन अधिकारियों में से तीन अधिकारी रसद संवर्ग से हैं, एक अधिकारी रसद संवर्ग से है।

शिक्षा शाखा और एक अधिकारी एटीसी संवर्ग से हैं।

दिल्ली यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराजा और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय ने दूसरे से छठे उत्तरदाताओं की बहाली के निर्देश जारी किए थे। ये अधिकारी हैं: कमांडर आर प्रसन्ना, कमांडर पूजा छाबड़ा, कमांडर सरोज कुमार, कमांडर सुमिता बलूनी और कमांडर ई प्रसन्ना। 93. इस न्यायालय के 20 नवंबर 2015 के अंतरिम आदेश के आधार पर, सुरक्षा केवल उन एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को दी गई थी जो

26 नवंबर 2008 को सेवा में थे। यह कट-ऑफ तिथि स्पष्ट रूप से 26 सितंबर 2008 के नीतिगत संचार के संदर्भ में अपनाई गई थी।

94. हमने इन महिला अधिकारियों के मामले पर विचार किया है जिन्हें पीसी के अनुदान के लिए विचार करने से इनकार कर दिया गया था। इस न्यायालय का अंतरिम आदेश 26 सितंबर 2008 की नीति पर आधारित था जिसमें भविष्य में "शामिल किए जाने वाले" अधिकारियों को संभावित आधार पर पी. सी. के अनुदान की परिकल्पना की गई थी। 26 सितंबर 2008 की नीति के संभावित अनुप्रयोग को अमान्य माना गया है। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह इस न्यायालय द्वारा पारित एक प्रतिबंधित अंतरिम आदेश के कारण था कि उपरोक्त पांच प्रतिवादियों को अपीलों के लंबित रहने के दौरान बहाल नहीं किया गया था। यदि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार बहाल किया जाता, तो वे मध्यावधि में सेवा में होते और पी. सी. अनुदान के लिए एक साथ विचार किए जाने के हकदार होते। अन्य सभी परिणामी लाभों के साथ। इन अधिकारियों को पी. सी. के अनुदान के लिए उन पर विचार करने में अधिकारियों की विफलता और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, जिसने उनकी बहाली का निर्देश दिया था, उनके परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप नागरिकों के अधिकारों को हानिकारक रूप से प्रभावित करने वाली स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्थिति को सुधारें और अन्याय को यथासंभव सुधारें।

95. जैसा कि हमने नोट किया है, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा संवर्गों में पीसी के अनुदान के लिए महिला एसएससी अधिकारियों के अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र के आधार पर उत्पन्न हुआ। पी. सी. अनुदान के लिए इन पाँच अधिकारियों के मामले पर विचार न करना

26 सितंबर 2008 को एक प्रतिबंधित नीति जारी करने में केंद्र सरकार की कार्रवाइयों से उत्पन्न हुआ जिसने इन महिला अधिकारियों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है। ये अधिकारी नौसेना में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के पहले शामिल किए गए बैचों में से थे और राष्ट्र के हित में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

2008 से पहले रिहा किए गए दूसरे से छठे उत्तरदाता बारह साल या उससे अधिक समय से सेवा से बाहर हैं।

सेवा की अनिवार्यताओं के साथ, उनकी बहाली का निर्देश देना उचित नहीं होगा। हालाँकि, बबीता पुनिया में इस न्यायालय के निर्देशों के तर्क का पालन करते हुए, हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बार का उपाय जारी किया जाना चाहिए। ये अधिकारी जिन्हें अपनी नियुक्ति पूरी करने के बाद 2008 से पहले रिहा कर दिया गया था, उन्हें मूल कार्य पूरा करने वाला माना जाना चाहिए। पेंशन योग्य सेवा और इस आधार पर पेंशन के अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कि उन्होंने एक में न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी की है

मूल क्षमता। पेंशन लाभों के अनुदान के अलावा, एक बार के उपाय के रूप में, दो से छह उत्तरदाताओं को भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

खोए हुए वर्षों की सेवा और उनके साथ हुए गंभीर अन्याय के लिए प्रतिपूरक उपाय के रूप में 25 लाख की एकमुश्त राशि। हम स्पष्ट करते हैं कि मुआवजा देने का हमारा निर्णय नौसेना अधिकारियों की ओर से किसी भी द्वेष का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उन महिला अधिकारियों के लिए मुआवजे का एक उपाय है जो सेवा और कंधे पर जिम्मेदारी निभाने के मूल्यवान अवसर से वंचित हैं।

96.हम मानते हैं और निर्देश देते हैं किः

((i)

महिलाओं की नियुक्ति या नामांकन पर वैधानिक रोक 9 अक्टूबर 1991 और 6 नवंबर 1998 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नौसेना की धारा 9 (2) के तहत जारी अधिसूचनाओं में परिकल्पित सीमा तक भारतीय नौसेना को हटा लिया गया है।

1957 का अधिनियम;

((ख)

संघ के नीतिगत निर्णय द्वारा और उसके परिणामस्वरूप

सरकार ने 25 फरवरी 1999 को रक्षा मंत्रालय में पीसी के अनुदान के संबंध में महिलाओं सहित एसएससी अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें 1963 के विनियमन 203, अध्याय IX, भाग III द्वारा शासित हैं।

नियम;

(iii)

26 सितंबर 2008 के नीति पत्र में दी गई शर्त

इसे संभावित बनाना और इसके अनुप्रयोग को भारतीय नौसेना के निर्दिष्ट संवर्गों/शाखाओं तक सीमित करना लागू किया गया;

((iv) दिनांक 3 के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के प्रावधान।

दिसंबर 2008, इस हद तक कि उन्हें संभावित बनाया जाता है और निर्दिष्ट कैडरों तक सीमित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और भारत और ओ. आर. एस. को अलग कर दिया जाता है।

वी. एलटी। सीडीआर। एनी नागराज डी. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

शिक्षा, कानून और रसद संवर्ग के सभी एस. एस. सी. अधिकारी जो वर्तमान में सेवा में हैं, उनके नाम पर विचार किया जाएगा।

पी. सी. का अनुदान। पीसी के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र से उत्पन्न होता है जिसे 1963 के विनियमों के अध्याय IX भाग III के विनियम 203 के साथ पढ़ा जाता है। उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के समक्ष मामलों के समूह में एस. एस. सी. महिला अधिकारी, जो वर्तमान में

दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के निर्णयों की तारीख पर या जैसा कि वर्तमान में है, रिक्त स्थिति के आधार पर पीसी के अनुदान के लिए सेवा पर विचार किया जाएगा, जो भी अधिक हो;

सेवा की वह अवधि जिसके बाद महिला एस. एस. सी. अधिकारी पी. सी. के अनुदान के लिए आवेदन जमा करने की हकदार होंगी, उनके पुरुष समकक्षों के समान होगी। पीसी के अनुदान के लिए सेवारत अधिकारियों के आवेदनों पर विनियमन 203 में निहित मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्: (i) रिक्तियों की उपलब्धता

भौतिक समय पर स्थिर संवर्ग; (ii) उपयुक्तता का निर्धारण; और (iii) राज्य के प्रमुख की सिफारिश।

नौसेना कर्मचारी। उनका सूचीकरण अधिकारियों के ए. सी. आर. पर मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर होगा।

एस. एस. सी. अधिकारी जो पी. सी. अनुदान के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं वेतन के बकाया, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

एनी नागराजा के मामले में एटीसी कैडर की महिला एसएससी अधिकारी पीसी के अनुदान के लिए विचार करने की हकदार नहीं हैं क्योंकि न तो पुरुष और न ही महिला एसएससी अधिकारियों को पीसी के अनुदान के लिए माना जाता है और पुरुष अधिकारियों को पीसी में सीधे शामिल नहीं किया जाता है। द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 142 में, हम निर्देश देते हैं कि एक बार के उपाय के रूप में, एनी में एटीसी संवर्ग में एसएससी अधिकारी

नागराजा का मामला पेंशन लाभों का हकदार होगा। प्रिया खुराना के मामले में एटीसी कैडर में एसएससी अधिकारियों को विज्ञापनों में निहित विशिष्ट प्रतिनिधित्व के अनुसरण में शामिल किया जा रहा है, जिसके अनुसार वे थे

शामिल किए गए, पीसी के अनुदान के लिए उपरोक्त निर्देशों (v) और (vi) के अनुसार विचार किया जाएगा; [2020] 10 एस. सी. आर.

सभी एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें विचार से वंचित कर दिया गया था

(x)

पी. सी. के अनुदान के लिए इस आधार पर कि उन्हें 26 सितंबर 2008 के पत्र के जारी होने से पहले शामिल किया गया था और जो वर्तमान में सेवा में नहीं हैं, उन्हें एक बार के उपाय के रूप में, मूल रूप से पूरा किया गया माना जाएगा। पेंशन योग्य सेवा। उनके पेंशन लाभों की गणना की जाएगी और इसी आधार पर उन्हें जारी किया जाएगा। सेवा से मुक्त होने के बाद की अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया देय नहीं होगा।

(xi)

एक बार के उपाय के रूप में, सभी एस. एस. सी. महिला अधिकारी जो उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के समक्ष, जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया है, यह माना जाएगा कि उन्होंने पेंशन के अनुदान के लिए पर्याप्त योग्यता सेवा पूरी कर ली है और वे सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे; और

(xii) 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30791-96 से उत्पन्न सिविल अपीलों में दो से छह उत्तरदाता, अर्थात् कमांडर आर प्रसन्ना, कमांडर पूजा छाबड़ा,

कमांडर सरोज कुमार, कमांडर सुमिता बलूनी और कमांडर ई प्रसन्ना एक बार के उपाय के रूप में पेंशन लाभों के अनुदान के अलावा, प्रत्येक 25 लाख के मुआवजे के हकदार होंगे।

97. हम उस स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं जो दिल्ली न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के उप-पैरा 50 में जारी किया गया है।

98. उपरोक्त निर्देशों का पालन इस निर्णय की तारीख से महीनों के भीतर किया जाएगा। हम तदनुसार निपटाते हैं

ओपल्स।

99. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लंबित आवेदन, यदि

खड़े हो जाएँ।

अपीलों का

निपटारा किया गया।

पांडे